

गो सेवा महात्रण

'गो-सेवा - महात्रण'

यु.सि.का के लि.से

21.7.1976


} प्रा.स. का
सु.म.का.म.न.

११५६१२

165

और

दिनोबाजी का संकल्प



गो-सेवा महाव्रत
और
विनोबाजी का संकल्प



१ अगस्त १९७६

संयुक्त गोवधबंदी समिति

प्रकाशक:- राधाकृष्ण बजाज

संयोजक, संयुक्त गोवधवंदी समिति

गोपुरी - वर्धा

प्रथमावृत्ति

प्रति : १०,०००

मूल्य : १.५० रु.

मुद्रक :- रणजित् देसाई

ग्राम सेवा मंडल,

वरंधाम मुद्रणालय, पो. पनार (वर्धा)

प्रकाशक के दो शब्द

पू० विनोबाजी ने संकल्प किया है कि पूरे भारत में गोवध-बंदी करने का निश्चय शासन की ओर से जाहीर न हुआ तो वे ११ सितंबर १९७६ से आमरण उपवास करेंगे। इस संकल्प की जानकारी अनेकों को हुई है, बहुतों को होनी है। पू० विनोबाजी के संकल्प में गोवध-बंदी और गोपालन दोनों का समावेश है। यह पुस्तिका 'मैत्री' के जुन-जुलाई-अगस्त के अंकों में से संकलित सामग्री से तथा अन्य सामग्री से तैयार की गई है। इसका नाम 'गो-सेवा महाव्रत' रखा है। गोसेवा में गोवध-बंदी और गोपालन दोनों का समावेश होता है। महाव्रत में संकल्पित अनशन का संकेत है।

६ सितंबर १९२५ को बेलगांव कांग्रेस के समय श्री चौड़े महाराज के आग्रह पर गोरक्षा संमेलन की अध्यक्षता पू० बापूजी ने की। तब से वे प्रत्यक्ष गोसेवा के कार्य में आये। पू० जमनालालजी बजाज द्वारा वर्धा में १ फरवरी १९४२ को गोसेवा संमेलन आयोजित किया गया था। उसका उद्घाटन पू० बापूजी ने किया था व अध्यक्षता पू० विनोबाजी ने की थी। तब से पू० विनोबाजी का सीधा संबंध गोसेवा से है। पू० जमनालालजी के देहान्त के बाद पू० विनोबाजी अनेक वर्षों तक गोसेवा संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इस छोटीसी पुस्तिका में पू० बापूजी, विनोबाजी, जयप्रकाशजी, दादा धर्माधिकारी, कुमारप्पाजी, राजेंद्रबाबू काकासाहेब आदि के विचार आये हैं। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री. रा० कृ० पाटील और कृषि-गोसेवा संघ के अध्यक्ष श्रीमन्नारायणजी के निवेदन हैं। 'गोसेवा की विचार धारा' किताब से प्रत्यक्ष गोपालन के विचार भी इसमें दिये हैं।

पू० बाबा का हमारे लिए सुझाव है कि इस 'गोसेवा महाव्रत' का प्रचार घर घर गांव गांव जाकर खुले आम किया जाय। पू० बाबा कहते हैं कि अपने विचार स्पष्ट रूप से कहें, लिखित बांटें, पर वह प्रेमपूर्वक और निर्भयता पूर्वक हो, भूमिगत नहीं। गोवध-बंदी कानून के संबंध में पू० बाबा और प्रधानमंत्री इंदिराजी दोनों आपस में सीधी चर्चा करेंगे ऐसी अपेक्षा है। हमारा काम तो भगवान से प्रार्थना करना है, और जनता जनार्दन की रचनात्मक शक्ति को जागृत करना है।

संयोग से लोकमान्य पुण्यतिथि पर यह प्रकाशन हो रहा है। इस में लोकमान्य के आर्शीवाद है ही। लोकमान्य ने कहा ही था कि, जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, पांच मिनट में एक कलम से गोवध-निषेध कानून पास कर देंगे।

गोपुरी-वर्धा

१ अगस्त १९७६

राधाकृष्ण बजाज

संयोजक

संयुक्त गोवधबंदी समिति



अनुक्रमणिका

१ संकल्प	विनोबा	९
२ गो यानी माता	"	१०
३ गोवध-वंदी अत्यंत आवश्यक	"	११
४ गोवध-वंदी भारतीय संस्कृति का आदेश	"	१३
५ गोहत्या एकदम बंद कर दी जाय	"	१६
६ खादी गाय के साथ जुड़ जाय	"	१८
७ गाय की रक्षा करो सबकी रक्षा हो जायेगी	महात्मा गांधी	२५
८ विश्व को भारत की अद्वितीय देन	दादा धर्माधिकारी	२८
९ मानवता का अगला कदम	"	३२
१० गोवध-वंदी : ग्रामीण अर्थरचना का बुनियादी पहलू	जयप्रकाश नारायण	३३
११ प्रश्नोत्तर	विनोबा	३५
१२ सहयोग का दिशासूचन	...	३७
१३ राष्ट्र की सर्वाधिक आमदनी गाय से	डॉ. राजेंद्रप्रसाद	४०
१४ गोहत्या का नामोनिशान न रहे	...	४२
१५ गाय ने ही मांसाहार छुड़ाया	काकासाहेब कालेलकर	४३
१६ गाय: आर्थिक जीवन का प्रतीक	जो. का. कुमारप्पा	४४
१७ गो-रक्षण की भूमिका	श्रीमन्नारायण	४७
१८ गोवध-वंदी के लिये : 'सरकार वचनबद्ध है'	रा. कृ. पाटील	५४

१९ पावन कदम	राधाकृष्ण बजाज	६०
२० कृतघ्नता की पराकाष्ठा	जयन्तीलाल मानकर	६३
२१ मुझे आशा है सरकार स्वीकार करेगी	जयप्रकाश नारायण	६४
२२ सर्व सेवा संघ प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव		६५
२३ श्री. हनुमानप्रसादजी पोद्दार को विनोबा के दो पत्र		६६
२४ श्री जगद्गुरु शंकराचार्य को जयप्रकाश नारायण का पत्र		६७
२५ सुप्रीमकोर्ट का फैसला २३-११-१९६०		६९
२६ गोवध कानूनन् बंद किया जाय	विनोबा	७१
२७ गोरक्षा: एक सांस्कृतिक मांग	"	७६
२८ मुख्य जरूरत है सेवकों की	"	७८
२९ हमारी कृति भगवान को समर्पण हो	"	७९
३० गोसेवा की नीति	राधाकृष्ण बजाज	८१

परिशिष्ट :

१ संपूर्ण गोवधबंदी क्यों ?

९१

गो-सेवा महाव्रत और विनोबाजी का संकल्प

गो-सेवा महाव्रत का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस व्रत को ग्रहण करता है, वह अपने जीवन में गो-सेवा को ही अपना धर्म मानेगा। यह व्रत केवल गो-सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गो-सेवा के माध्यम से समाज के उत्थान और राष्ट्र-सेवा के लिए एक संकल्प है।

विनोबाजी का संकल्प यह है कि जो व्यक्ति इस संकल्प को ग्रहण करता है, वह अपने जीवन में समाज-सेवा को ही अपना धर्म मानेगा। यह संकल्प केवल समाज-सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज-सेवा के माध्यम से राष्ट्र-सेवा के लिए एक संकल्प है।

मेरी यह भविष्य वाणी है कि जैसे-जैसे जन-संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे दुनिया भर में गोशत की महिमा कम होगी और दूध की बढ़ेगी। गो-दुग्ध ऐसी चीज है, जिसने लोगों को मांसाहार से छुड़ाया। इसलिए वह पवित्र माना गया।

— विनोबा

जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, पांच मिनट में एक कलम से गोवध-निषेध-कानून पास कर देंगे।

— लोकमान्य तिलक

भिन्न-भिन्न राष्ट्रों ने अपने चारित्र्य के प्रतीक-चिह्न के तौर पर भिन्न-भिन्न प्राणियों का चुनाव किया है। जैसे अमरीका ने हंसपक्षी, जर्मनी में सिंह, इंग्लंड ने गेंडा, फ्रांस ने लडनेवाला मुरगा, पुराने रशिया ने रींछ। इनमें से अधिकांश प्राणी आक्रमणकारी और झगडालू हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारतीय स्वभावतः सौम्य और अहिंसक हैं क्योंकि उनका संरक्षक प्राणी गाय है।

— पंडित जवाहरलाल नेहरू

संकल्प

पवनार आश्रम में महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन में तारीख २५ अप्रैल को भाषण देते हुए मैंने गोरक्षा के संबंध में बहुत जोर दिया था और कहा था कि गोरक्षा की जिम्मेवारी आचार्यों को उठा लेनी चाहिए। इस संबंध में एक पत्रक भी प्रकाशित हुआ है।

इसके बाद तारीख १७ मई को महाराष्ट्र के मुख्य-मंत्री श्री. शंकररावजी चव्हाण खुद मुझे मिलने पवनार आये थे। उनसे भी चर्चा करते हुए मैंने देश के विकास की दृष्टि से गोवध-बंदी की आवश्यकता पर बहुत बल दिया और कहा कि यदि यह कार्य शीघ्र संपन्न न हुआ तो मुझे आमरण उपवास करना होगा।

तारीख २९ मई को कुछ कार्यकर्ताओं से इस विषय में बातें करते हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया कि यदि देशभर में गोवध-बंदी करने का निश्चय जाहिर न हुआ तो मैं ११ सितंबर से उपवास शुरू करूंगा, जो कि मेरा जन्म-दिवस है। इसके लिए अभी साडे तीन महीने अवधि है। उतना समय संबंधित व्यक्तियों को निर्णय करने के लिए पर्याप्त होगा।

३१.५.७६

(हस्ताक्षर)

बिनोबा

राम हरि

बाबा के कुछ निर्णय अपनी अंतःप्रेरणा से होते हैं। जैसे भूमि की प्राप्ति और बंटवारे का निर्णय। यह (गोवध-बंदी के लिए उपवास का) निर्णय भी अंतःप्रेरणा से हुआ है।

२४-६-७६

- बिनोबा

गो यानी मा ता

यह जो वर्ष है १९७६ वह बाबा की माता की जन्मशताब्दी का वर्ष है । बाबा को एक भी दिन याद नहीं जिस दिन बाबा ने मां का स्मरण नहीं किया होगा । वह ४२ साल की छोटी उम्र में मर गयी । लेकिन हमको उसने बचपन से सिखाया था, खाने से पहले प्रथम तुलसी को पानी देना, फिर गाय को खिलाना, फिर खुद खाना । तुलसी को पानी पिलाये बिना, गाय को खिलाये बिना खाना नहीं । तो बाबा ने सोचा, मां तो गयी, गाय की क्या हालत है ? गाय भी बच जाये तो भारत को बहुत लाभ होगा ।

संस्कृत भाषा में 'गो' शब्द के अर्थ हैं - पहला अर्थ गाय, दूसरा पृथ्वी, तीसरा माता । और 'मातृ' शब्द का पहला अर्थ है मां, फिर गाय और फिर पृथ्वी । मातृ शब्द और गो शब्द, दोनों माता के लिए, गाय के लिए, पृथ्वी के लिए हैं । यह संस्कृत भाषा है । और आज हिंदुस्तान में लाखों गायें कटती हैं । उसका मांस इत्यादि भेजा जाता है अमरीका में, लोग चाव से खाते हैं । और आपको डॉलर मिलता है । बाबा ने सोचा, मां तो गयी, कम से कम गाय को तो बचायें । बाबा को ८१ साल पूरे करने के लिए तीन महीने बाकी हैं । कितने बचे होंगे दिन और, कह नहीं सकते । तो बाबा ने सोचा, जितने दिन बचे होंगे उतने की आखिरी अपनी आहुति दे गाय के लिए ! इसमें बाबा की मृत्यु हुई और गाय बची तो अच्छा है; मृत्यु हुई और गाय नहीं बची तो भी बाबा परमेश्वर का स्मरण कर के आनंदपूर्वक जायेगा । बाबा ने अपना कर्तव्य कर लिया । गाय का बचना तो ईश्वर की कृपा पर निर्भर है ।

पाणिनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाणिनि के व्याकरण में है, सुसंपन्नोऽयं देशो भाति — यह देश सुसंपन्न दीखता है। कैसे मालूम हुआ? “गोमान् अयम्।” यहां बहुत गायें दीखती हैं, इसवास्ते यह देश संपन्न दीखता है। व्याकरण में ‘मान्’ प्रत्यय समझाने के लिए यह वाक्य आता है। मान लीजिए, आपके पास दो पैसे हैं तो आप धनवान नहीं। ‘मान्’ प्रत्यय जहां प्रचुरता होती है वहां लगता है। बाहुल्य प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाखों रुपये हैं तो धनवान है। ‘गोमान्’ यानी एक-दो गायें नहीं, लाखों गायें जहां हैं वह। यहां लाखों गायें हैं इसवास्ते यह देश सुसंपन्न दीखता है। पाणिनि ने व्याकरण समझाने के लिए यह इस्तेमाल किया। यहां तो गायें कट रही हैं आज!

आप लोगों को मालूम होगा अकबर वादशाह ने गोहत्या बंद की थी।

साथियों के साथ : २-६-७६

गोवध-बंदी अत्यंत आवश्यक

गोरक्षा का ख्याल रखना होगा। साईन्स के कारण आज दुनिया छोटी बनी है। इसलिए इधर का असर उधर होता है और उधर का इधर। आप जानते हैं, अभी ‘तैलास्त्र का प्रक्षेपण’ हो गया। तेल भेजना बंद किया, तो एकदम अमरीका, ब्रिटन, फ्रान्स सब पर, यहां तक कि भारत पर भी उसका असर हुआ। तो हमने गो-शक्ति से ऊर्जा खडी करने की बात बतायी। तो जरा शांति हुई। गाय के गोबर का गॅस-प्लांट हो सकता है। गाय का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। गोबर-गॅस से ऊर्जा खडी हो सकती है, खाद मिल सकती है। बैल के

द्वारा खेती हो सकती है। गाय की मृत्यु के बाद उसके चमड़े के जूते बन सकते हैं। गाय का दूध मिल सकता है। इस तरह उसका पूरा उपयोग हो सकता है। इसलिए गो-रक्षा पूरी तरह से करें, यह बात बाबा ने बता दी है। आचार्यों को समझना चाहिए कि वे एकांगी नहीं बन सकते। जो काम वे करेंगे वह समग्रता से करना चाहिए। जितने भी पहलू उस काम के होंगे, उन सबको स्पर्श होना चाहिए। तो गोरक्षा की जिम्मेवारी भी आचार्यों की है, यह बात समझनी चाहिए। वेद में तो यहां तक कहा, अरे, इंद्र का रूप कैसा है? इदं द्रष्टा इंद्रः। देखनेवाला इंद्र है। गायें जा रही थीं। इमा या गावः स जनास इंद्रः— हे जनो, समझ लो, ये जो गायें जा रही हैं, वे इंद्र हैं। परमात्मा का एक रूप गाय भी है। इसलिए गोवध-बंदी भारतभर में होनी चाहिए। उसके वजाय गोमांस बाहर भेजते हैं और डॉलर हासिल करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध हो गये। गौतम का अर्थ है, उत्तम बैल। जैनों में ऋषभदेव हो गये। ऋषभ यानी बैल। न्यायशास्त्रकार गौतम थे। इतना सुंदर बैलों के लिए भारतभर में आदर था कि अपने नाम भी उस पर से रखते थे। बैलों का नाम अपने लिए रखना इतना महत्त्व का मानते थे। लेकिन आज सर्वत्र गाय की कत्ल की जाती है। परंतु समझने की बात है, खास कर हिंदुस्तान में गाय के लिए अत्यंत आदर है, इसवास्ते कृषि के साथ गोरक्षण जोड़ा है। कहीं भी गोहत्या न हो इसकी हमें चिंता होनी चाहिए।

‘महाराष्ट्र आचार्यकुल के सामने’

— २५-४-७६

गोंध-बंदी

भारतीय संस्कृति का आदेश

भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिए इस विषय में बाबा ने दो पत्रक निकाले हैं। वे पत्रक आप सब लोगों ने पढे होंगे। इसलिए उस विषय में खास कहने का रहता नहीं। जो कुछ है, वह करने का बाकी है।

नंबर एक, गोहत्या भारत में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है। नंबर दो, भारतीय संविधान में गोहत्या-बंदी का निर्देश है। नंबर तीन सत्ता काँग्रेस ने गाय-बछड़ा अपना चुनाव-चिह्न माना है। ये तीन बातें पर्याप्त हैं, गोहत्या-बंदी क्यों होनी चाहिए, यह समझने के लिए।

कुछ लोगों का ख्याल है कि मुसलमान खिलाफ जायेंगे। यहां तक कि गांधीजी का नाम हमको बताते हैं। इन सज्जनों को मालूम नहीं है, गांधीजी ने कहा था कि मेरे दो वचनों में फरक मालूम हो तो मेरा आखिरी वचन प्रमाण मानें। गांधीजी को समझनेवाले जो कुछ लोग होंगे भारत में, उनसे इस सिलसिले में बाबा को कम जानकारी नहीं है। लेकिन, फिर भी बाबा गांधीजी के नाम से कुछ नहीं कहता। बाबा तो अपने को जो ठीक लगता है, वह कहता है। क्योंकि जब गांधीजी भगवान के पास गये होंगे, तब भगवान ने उनसे यह नहीं पूछा होगा कि बाबा ने क्या-क्या गलतियां कीं। और जब बाबा भगवान के पास जायेंगे तब भगवान बाबा से यह नहीं पूछेगा कि गांधीजी ने क्या-क्या गलतियां कीं। कुरान में एक बहुत सुंदर कहानी है इस विषय में। बहुतों का मानना है कि मुसलमान शायद खिलाफ जायें। आपको पता है या नहीं मालूम नहीं। बाबा ने

कुरान का जितना अध्ययन किया है उससे अधिक अध्ययन किया हुआ मौलाना बाबा ने देखा नहीं। बाबा ने जो कुरान का सार निकाला है उसमें से बहुत सारा बाबा को कंठस्थ है। उसमें साफ बताया है कि हमें गाय की कत्ल नहीं करनी चाहिए। गाय का दूध लेना चाहिए, उसका बड़ा उपकार मानना चाहिए, इत्यादि-इत्यादि। ये सारा कुरान में पढ सकते हैं।

कुछ लोगों का ख्याल है कि क्रिश्चन लोग इसका विरोध करेंगे। यह गलत ख्याल है। ख्रिस्तधर्म-सार, जो बाबा ने निकाला है, उसमें यह स्पष्ट कह दिया है कि 'अगर मेरे साथी को मेरे मांसाशन से बुरा लगता होगा तो जब तक दुनिया है तब तक मैं मांसाशन नहीं करूंगा।' सेंट पॉल बोल रहे हैं। ये लोग ग्रंथ पढते नहीं। कुरान-सार है, ख्रिस्तधर्म-सार है, जपुजी है जो सिक्खों का उत्तम से उत्तम ग्रंथ है। गोहत्या-बंदी के लिए इन सबको सहानुभूति है। सिक्खों के आखिर गुरु गोविंदसिंह थे। गोविंद यानी 'गो' को मारनेवाला नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि गोविंद नाम रखा तो गाय के लिए कितना आदर था सिक्खों में! लेकिन ये लोग चिंतन-मनन-अध्ययन करते नहीं और गांधीजी के नाम से बातें कहते हैं। बल्कि बाबा तो यह जानता है कि आपको जो निर्देश दिया है भारत के संविधान में उसे सब मुसलमानों ने सपोर्ट (समर्थन) दिया था। मुसलमानों का पूर्ण सपोर्ट उसको मिला।

तात्पर्य, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या बौद्ध, क्या क्रिश्चन, क्या सिक्ख, क्या जैन, क्या पारसी कोई गाय को खाते नहीं। जैनों ने पूर्ण मांसाहार-त्याग की बात की है। यह बहुत बड़ी बात है। आगे वह करना होगा। भारत को करना होगा, कुल दुनिया को करना होगा। यह बड़ी देन है जैन धर्म की कुल दुनिया के लिए। लेकिन वह आगे

की बात हुई। आज कम से कम बात बोलनी है, तो गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए।

अब एक मजेदार बात बताता हूँ। बाबा के उपवास की खबर 'मैत्री' में प्रसिद्ध हुई। तो 'मैत्री' के बंडल के बंडल यहां से उठा कर ले गये। ४२०० अंक उठा ले गये। जब वे अंक ले जा रहे थे, तब बाबा ने क्या किया? खडा हुआ और तालियां बजायीं। जय जगत् कहा। धन्य है आप लोग! बाबा के उपवास की बात छापने की हिम्मत नहीं करते। हिम्मत की है युगधर्म ने, गांवकरी नें, भूमिपुत्र ने, धरती-माता ने,। अखवारवाले हिम्मत नहीं करते। क्योंकि अखवार बंद पड़ेगा। हरि, हरि! अखवार बंद होगा तो खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन कंवखतों की समझ में नहीं आता, अखवार भले ही बंद हो जाये, लेकिन यह सबको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज है, तब भारत की प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये लोग हिम्मत ही नहीं करते। शंकराचार्य के जमाने में अखवार थे नहीं। लेकिन शंकराचार्य का जितना प्रचार हुआ उतना और किसी का हुआ नहीं। गौतम बुद्ध के, महावीर के, जीसस क्राईस्ट के जमाने में अखवार नहीं थे। लेकिन उनका जितना प्रचार हुआ उतना और किसी का नहीं हुआ। अखवार यानी अ-खबर! खबर नहीं।

मैं तो हमेशा विश्वास ही रखता हूँ। इसलिए मुझे आशा है कि गोवध-बंदी की बात मान्य की जायेगी। ऐसा विश्वास बाबा रखता है। यह केवल आध्यात्मिक कार्य है, इसलिए चित्त की शांति कभी खोना नहीं चाहिए। बाबा ने निश्चय कर लिया कि गोवध-बंदी नहीं होगी तो बाबा अंतिम अनशन करेगा। यह निश्चय जाहिर करने में बाबा के चित्त में जरा भी क्षोभ नहीं है।

केदारनाथजी ने एक बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है। आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि "बाबा को अंतिम

उपवास का निर्णय नहीं करना चाहिए।” फिर वे लिखते हैं, “लेकिन शायद इसमें मेरे मन में बाबा के लिए आत्मीयता और ममता काम करती होगी। — गाय का हम पर इतना उपकार है इसलिए उसकी किसी प्रकार से हत्या होने न देना अपना कर्तव्य भी है।” वे बहुत ही शांत प्रवृत्ति के पुरुष हैं। आज उनकी उम्र ९२ वर्ष की है।

[तारीख १३. ६. ७६ अ. भा. कृषि गोसेवा समिति की बैठक में]

गोहत्या एकदम बंद कर दी जाय (प्लॅनिंग कमीशन को विनोबाजी की सलाह)

प्लॅनिंग कमीशन के सदस्य श्री रा० कृ० पाटील १० अगस्त १९५१ को पहली पंचवर्षीय योजना के मस्वीदे पर विनोबाजी के विचार जानने के लिए आये थे। उनके समक्ष दी सलाह।

“आपकी योजना तो देश को सदा के लिए भिखारी बनानेवाली है। अधिक उत्पादन के लिए वह किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती।”

विनोबा ने तो योजना-आयोग को एकदम चुनौती-सी दे दी कि “अगर आपके पास बड़े पैमाने पर उत्पादन करनेवाले कारखानों के साथ और भी कोई योजना या कार्यक्रम हो कि जिनकी मदद से जनता को पूरा-पूरा काम दे सकते हैं तो मैं अपने चरखे को आग लगा दूंगा और उस पर एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। उस पर कम-से-कम एक दिन की रोटी तो पक ही जायगी। परंतु मुझे निश्चय है कि चरखा और ग्रामोद्योगों की मदद के बगैर भारत की आबादी को आप

लाभदायक पूरा काम नहीं दे सकते। तेलंगाना के कम्युनिस्टों तक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है।”

विनोबा खाद्यान्नों के बारे में स्वावलंबन को राष्ट्र की सुरक्षा का अभिन्न अंग मानते रहे हैं। कल को अगर, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ जाय और अमरीका आवश्यक अनाज भेजना बन्द कर दे तो भारत-सरकार क्या करेगी? अगर हम अन्न और कपड़े के बारे में स्वावलंबी नहीं हैं तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं। अगर आप सच्चे दिल से अहिंसक शक्ति का विकास करना चाहते हैं तो लोगों को अपने ही साधनों के बल पर स्वावलंबी बनना सीखना होगा। यह बात हमारे दिमाग में दिन की तरह साफ होनी चाहिए।”

गोरक्षा के बारे में विनोबा ने कहा :- “भारत में आप गोवध का खयाल भी नहीं कर सकते। योजना-कमीशन में यह साफ-साफ कहने की हिम्मत नहीं है कि जितने भी बेकार पशु हैं, उनकी कत्ल कर दिया जाय। फिर भी पशु पालन के जितने भी कार्यक्रम बनाये गये हैं, वे सब अप्रत्यक्ष रूप से उसी नतीजे पर पहुँचाते हैं। हमको पशु-हत्या को एकदम बन्द कर देने की योजना बनानी चाहिए। देश के विभिन्न भागों में गोसदन कायम कर दिये जायें और देश में जितने भी कमजोर तथा बेकार पशु हैं उनको वहाँ रख दिया जाय तथा उनके मल-मूत्र, चमड़ा और हड्डियों का उपयोग किया जाय। मैं तो मुसलमानों की तरफ से भी यह आश्वासन दे सकता हूँ कि गोवध-बंदी में वे बाधक नहीं होंगे।”

“ऋषि विनोबा” पुस्तक पर से

खादी गाय के साथ जुड जाये

विनोबा

आप लोगों के दर्शन से बाबा को जो आनंद हुआ, उसका वर्णन करने की शक्ति भाषा में नहीं है। मैंने एक दफा कहा था, भारत का काम पंचशक्ति-सहयोग से होगा। ये जो हमारे सामने बैठे हैं, वे सज्जनशक्ति के प्रत्यक्ष चिह्न हैं। प्रसिद्ध वाक्य है, क्षणमिह सज्जन-संगतिरेका, भवति भवार्णव-तरणे नौका - एक क्षण भी सज्जन-संगति प्राप्त हो जाये तो संसार-समुद्र तैरने के लिए नौका मिल जाती है। और ये जो सज्जन बैठे हैं सामने, वे भारत के सब प्रदेशों से आये हुए हैं। इतना बड़ा भारत ! १५ विकसित और ५०-६० अविकसित भाषाएं, और दुनियाभर के सब धर्म ! यह भारत का जो वैभव है वह बाबा को अद्वितीय मालूम होता है। इसलिए नहीं कि बाबा भारत में जन्मा हुआ है, चाहे वह योरप में या दूसरे किसी देश में जन्मा होता तो भी भारत का यह जो वैभव है वह उसे मान्य होता। एक बहुत अद्भुत वाक्य है संस्कृत में - दुर्लभं भारते जन्म मानुषं तत्र दुर्लभम्। यानी भारत में कुत्ता-बिल्ली का जन्म भी प्राप्त हो तो वह भी दुर्लभ है। इतना गौरव अपने देश का क्यों हुआ ? क्योंकि यहां की चप्पा-चप्पा जमीन पर अनेक ऋषि-मुनियों, संतों, आचार्यों के पदरज का स्पर्श हुआ है। हिंदुस्थान की जमीन का एक चप्पा भी बाकी नहीं होगा, जंगल का, गांव का, शहर का जहां किसी न किसी संत का पदस्पर्श न हुआ हो। ऐसे महान देश में आप और हम, खादी के काम में लगे हुए लोग यहां इकट्ठा हुए हैं।

अ-सरकारी असरकारी

आपके काम का कथन मैं देख गया और आप जो दिव्य-भव्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मेरे मन में अत्यंत आदर पैदा हुआ। लेकिन इन दिनों एक वाक्य हमेशा मुझे याद आता है, काकासाहेब (कालेलकर) ने कहा था, “अ-सरकारी असरकारी”। सरकार के साथ संबंध न रहनेवाला जो भी संघ होगा वह असरकारी होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सरकार की कोई निंदा कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किये हैं, कर रहे हैं, करेंगे। फिर भी कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र जन-शक्ति खड़ी होनी चाहिए। सरकार के साथ सहयोग हम जरूर करेंगे, लेकिन जनता की शक्ति मजबूत होगी, सरकार की गौण होगी, यह मुख्य बात है। यह सध जाये तो बहुत सध जायेगा।

मक्खन खाओ, कपडा बनाओ

यह ठीक है कि आप लोग एक प्रकार के व्यापार में पड़े हैं। और जो व्यापार में पड़े होते हैं, वे चाहे इस देश के हों या दूसरे, उनकी दशा एक ही होती है। व्यापार में अनेक प्रकार के संबंध आते हैं भले-बुरे, उनमें से मुक्त कैसे हों, यह हमको देखना चाहिए। कम से कम यह देखना चाहिए कि गांव ऐसा हो जो अपना कपडा खुद बनाता है, बाहर का लेता नहीं। मैं आप से पूछूंगा कि भारत में ३०० जिले हैं और ६००० प्रखंड हैं, उनमें ऐसे कितने गांव होंगे, जो बाहर का कपडा नहीं खरीदते हैं। इन दिनों मैंने गोहत्या-बंदी का नाम लिया है। दोनों एक ही हैं।

मैंने एक मंत्र दिया है, ‘मक्खन खाओ कपडा बनाओ।’ पवनार गांव में मक्खन तैयार होता है और वर्धा शहर में बेचा जाता है। तो मक्खन का भाव व्यापारी तय करते हैं। गांववालों के हाथ में नहीं रहता। मक्खन बेचना और कपडा खरीदना। कपडे का भाव भी

व्यापारी के हाथ में । इससे गांव की मुक्ति होनी चाहिए । यह हमको करके देखना होगा । एक वाक्य वेद में आता है, विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरम् - हमारे इस गांव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए; और इस गांव में कोई बीमार नहीं है, ऐसा होना चाहिए ।

इसवास्ते वावाने कहा, एक ओर जय जगत और एक ओर ग्रामदान । यह हमारा आखिरी नारा है । हम केवल भारत से संबंध रख कर संतुष्ट नहीं होंगे । कुल पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है, इसलिए हम पृथ्वीपति नाम देते हैं । कुल पृथ्वी एक हो जायेगी तब दुनिया की समस्या हल हो जायेगी । अंदर-अंदर से लडते रहेंगे तब तक दुनिया में कभी शांति नहीं होगी । इसलिए एक जगत बनाना होगा । उसका एक नमूना गांव है । मैं आपको अर्जी करूंगा कि आप जहां काम करते हैं, वहां आप कोशिश करें कि गांव पूरी तरह से स्वावलंबी हो । पूरा कपडा गांव में हो । गांव का कपडा गांव में बनाना होगा । चाहे पुराने औजार हो चाहे नये । चाहे विजली-संचलित हों । मुझे किसी भी यंत्र से विरोध नहीं है, वशर्ते कि उससे शोषण न होता हो । लेकिन ऐसा गांव बनाओ, जो गोकुल जैसा हो ।

मैया, मैं नहीं माखन खायो

मैंने कई दफा कहा है, यशोदा-कृष्ण-संवाद ! कृष्ण मक्खन खाता है, तो यशोदा कहती है, अरे मूरख, माखन तो हमें मथुरा में बेचना है । कृष्ण कहता है, **मैया मैं नहीं माखन खायो** । इसका अर्थ हम सब गांववालों ने मिल कर माखन खाया है । यशोदा कहती है, हमको मक्खन मथुरा में बेच कर पैसा लाना है । तो कृष्ण कहता है, मथुरा में पैसा है, तो कंस भी है । जहां पैसा है वहां कंस है, इतना याद रखो । मक्खन खा कर हम मजबूत बनेंगे और कंस को खतम करेंगे । भगवान कृष्ण ने मक्खन के आधार से कंस को खतम किया । भागवत कोई कम्यूनिज्म का ग्रंथ नहीं है । लेकिन उसमें बात कम्यूनिज्म की

है । कृष्ण ने यशोदा से कहा की मैंने माखन नहीं खाया, यानी मैंने अकेले ने नहीं खाया, कम्यूनिटी (समूह, समान) ने खाया । यह भारतीय संस्कृति को भगवान कृष्ण की देन है ।

सर्वोपनिषदो गायो

एक विलक्षण बात है । बाबा ने इन दिनों जाहिर किया है कि गोमाता की हत्या नहीं होना चाहिए । उसके लिए बाबा अपना प्राण अर्पण करेगा । उसके लिए मुदत दे दी है । एक विचित्र वाक्य संस्कृत भाषा में आता है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा वाक्य नहीं आता है ।

सर्वोपनिषदो गायो दोग्धा गोपालनंदनः

उपनिषद शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंगी है, जैसे परिषद । उपनिषद क्या है ? गाय है । सारी उपनिषद गायें हैं । अपना सर्वोत्तम ग्रंथ हिंदुस्थान का कौनसा है ? उपनिषद । उपनिषद में से, उस गाय में से दोहन कर लिया भगवान कृष्ण ने और

दुग्धं गीतामृतं महत्

गीतारूपी सुंदर दूध हमें भगवान कृष्ण ने पिलाया । गायें कौनसी थीं ? उपनिषद ! उन गायों से कृष्ण ने हमें यह उत्तम गीतामृतम् पिलाया । ऐसी भाषा हम कहीं देखते नहीं । दुनिया के दूसरे देशों की भाषा में क्या कहेंगे ? शराबे शौक पीता जा । तुमको पीना है तो शराव पीओ । शराव की बात करेंगे, गोदुग्ध की बात नहीं करेंगे । भारत की संस्कृति है, शराव नहीं पीयेंगे, गाय का दूध पीयेंगे ।

खादी गाय के साथ जुड़ जायें

गांधीजी की जो प्रार्थना चलती थी सुबह की वह हम यहां नहीं चलाते । यहां पूरा ईशावास्योपनिषद बोलते हैं । उनकी सुबह की प्रार्थना में कई श्लोक आते थे, उसमें एक श्लोक था,

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
 न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः
 गो-ब्राह्मणेभ्यः शुभं अस्तु नित्यं
 लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

सब लोग सुखी हो जायें, राज्यकर्ता उत्तम रीति से राज्यपालन करे और गाय और ब्राह्मण दोनों का शुभ हो। बात ऐसी है कि, आज गाय भी संकट में पडी हैं और ब्राह्मण भी संकट में पडा है। इसलिए खादी को गाय के साथ जोडना ही पडेगा। खादी आपको कपडा देगी, और खाने के लिए गाय का दूध मिलेगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं खादी का, उसमें व्यापार की बात भी आ गयी है। तो उससे आप मुक्त हो जायें, ऐसी बात बाबा आपको कहेगा नहीं। क्योंकि वह प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) नहीं है। इसलिए आपके कार्य में आप मुख्य यह देखिए कि कितने गांव आपने स्वावलंबी बनाये। फिर आपका व्यापार चलता रहे, उसको एकदम से रोकना संभव नहीं। ऐसी सलाह बाबा आपको देगा नहीं, क्योंकि बाबा की अक्ल अभी कायम है।

आप जानते हैं, बहुत बडे नेता हो गये तमिलनाड में, राजगोपालाचार्य। राज! गोपाल! गोपाल के राजा! और उन्हीं के मद्रास में हजारों गायों की कल्ल होती है। गोविदन्, गोपालन् इस-तरह नाम केरल में भरे हैं। केरल शंकराचार्य का देश है। इसलिए केरल की भाषा में ८० प्रतिशत संस्कृत शब्द हैं। ऐसे केरल प्रदेश में, कालिकत में गायें खूब कटती हैं। इस तरह सबदूर जो गोहत्या चल रही है, उसको हमें मिटाना ही चाहिए और उस काम में पूरा योगदान खादी कार्यकर्ताओं का भी रहना चाहिए। मैंने कई दफा कहा है, **एकाग्रं च समग्रं च**। खादी का काम एकाग्र हो कर करें और समग्र दृष्टि से करें। हम खादी का काम करते हैं, तो दूसरे काम की तरफ देखेंगे नहीं, गोसेवा की तरफ देखेंगे नहीं, ऐसा न करें। समग्र दृष्टि से

खादी का काम करें। यह हम करेंगे तो भारत की समस्या जल्दी हल हो जायेगी। और गाय और ब्राह्मण, दोनों संकट से मुक्त हो जायेंगे। बाबा की इस प्रतिज्ञा में व्यापारी लोग शामिल हो जायें तो सज्जन-शक्ति और महाजनशक्ति, दोनों इकट्ठा होंगी इसलिए काम जल्दी होगा।

बाबा को पूरा विश्वास है

बाबा ने अपने हाथ में यह काम लिया है। और बाबा को विश्वास है कि जो सद्बुद्धि भगवान ने बाबा को दी वह सद्बुद्धि भगवान ने शासनकर्ता को भी दी है। बाबा का पूरा विश्वास है। बल्कि विश्वास के संबंध में बाबा का एक श्लोक है, जो आपको मालूम होगा -

वेदांतो विज्ञानं विश्वासश्चेति शक्तयः तिस्रः

यासां स्थैर्यं नित्यं शांति-समृद्धी भविष्यतो जगति

दुनिया में शांति-समृद्धि के लिए तीन शक्तियां हैं - वेदांत, विज्ञान और विश्वास। इसलिए बाबा ने हमेशा विश्वास ही रखा है। यहां तक कि बाबा से पूछा गया कि आपका किन-किन पर विश्वास है, तब बाबा ने कहा कि भुट्टो पर भी मेरा विश्वास है - और यह उन दिनों कहा जिन दिनों भारत में भुट्टो के लिए बिलकुल विपरीत भावना थी। सामने-वाला मुझ पर जितना अविश्वास रखेगा उतना मैं उस पर विश्वास रखूंगा। अविश्वास को अगर हटाना है, तो विश्वास से ही वह हटेगा। अविश्वास करनेवालों पर भी विश्वास रखना, यह बाबा का एक सिद्धांत है। और बाबा का विश्वास है, बाबा पूर्ण जानता है कि अगर दुनिया में भगवान की इच्छा हो संहार करने की तो क्या मजाल है कि बाबा शांति की बात बोलता! बाबा भी संहार की बात बोलता। भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कोई बात बोल नहीं सकता। लेकिन बाबा को शांति की बात बोलने की प्रेरणा होती है, इसका अर्थ है, भगवान शांति

ही चाहता है, संहार नहीं चाहता । इसलिए मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि दुनिया संहार से बचेगी । मैंने कई दफा कहा है कि छोटे-छोटे शास्त्र अहिंसा के विरोधी हैं । लेकिन वैलेस्टिक वेपन्स (प्रक्षेपण-अस्त्र) जो आये हैं, वे अहिंसा के साथी हैं । इसलिए हमको शांति और विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए । बाबा को पूर्ण विश्वास है कि बाबा तभी मरेगा जब बाबा का प्रारब्धक्षय होगा । प्रारब्धक्षय होने के पहले मरेगा नहीं ।

२९-६-७६

अ. भा. खादी कार्यकर्ताओं के बीच



प्रश्न : 'ब्राह्मण' यानी कौन ?

उत्तर : जो ब्रह्म का चिंतन करता है वह ब्राह्मण है ।
फिर चाहे वह शंकराचार्य जैसा जन्म से ब्राह्मण हो या तुकाराम जैसा 'जन्म से शूद्र' हो तो भी चलेगा, हर्ज नहीं ।

गाय की रक्षा करो,

सबकी रक्षा हो जायेगी

— महात्मा गांधी

मैं जैसे-जैसे गोरक्षा के प्रश्न का अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसे उसका महत्त्व मेरी समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान में गोरक्षा का प्रश्न दिन-दिन गंभीर होता जायेगा, क्योंकि इसमें देश की आर्थिक स्थिति का सवाल छिपा हुआ है। मैं मानता हूँ कि हर धर्म में आर्थिक और राजनैतिक विषय रहते हैं। जो धर्म शुद्ध अर्थ (धन) का विरोधी है, वह धर्म नहीं। जो धर्म शुद्ध राजनीति का विरोधी है, वह धर्म नहीं। धर्मरहित धन त्याज्य है। धर्म के बिना राजसत्ता राक्षसी है। अर्थात् से अलग धर्म नाम की कोई चीज नहीं। व्यक्ति या समष्टि, सब धर्म से जीते हैं, अधर्म से नष्ट होते हैं। सत्य के सहारे किया हुआ अर्थसंग्रह यानी व्यापार जनता का पोषण करता है। सत्यासत्य के विचार से रहित व्यापार उसका नाश करता है। झूठ और छल-कपट से होनेवाला लाभ क्षणिक है। अनेक दृष्टान्तों से बताया जा सकता है कि उससे अंत में हानि ही हुई है।

गोरक्षा के धर्म की जांच करते समय हमें अर्थ (धन) का विचार करना ही पड़ेगा। अगर गोरक्षा शुद्ध धन की विरोधी हो, तो उसे छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, हम रक्षा करना चाहेंगे, तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी।

हमारे लिए तो प्राणिमात्र की रक्षा करना धर्म है। लेकिन जब तक सबसे उपयोगी पशु को हम सच्चे अर्थ में नहीं बचा लेते, तब तक दूसरे जानवरों की रक्षा नहीं हो सकती। हमने तो गाय की उपेक्षा

कर के गाय और भैंस, दोनों को मौत के दरवाजे पहुंचा दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि उपयुक्त उपाय कर के हम सचमुच गाय को बचा लेंगे तब दूसरे जानवर भी बच जायेंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है, जब हमें इसका सच्चा विज्ञान और अर्थशास्त्र मालूम होगा। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि गाय का महत्त्व इसलिए है कि वही काफी दूध और खेती और वारवरदारी के लिए जानवर देनेवाली है। वह मरने पर भी मूल्यवान है, यदि उसके चमड़े, हड्डी, मांस और आंतों का भी हम उपयोग करते हैं। गाय हमारे लिए मुनाफे की चीज है, घाटे का सौदा नहीं। आज बहुत जगह या तो मुर्दा गाय को गाड़ देते हैं या उसे कौड़ियों में बेच डालते हैं। यह कितने अज्ञान की बात है। उधर मुर्दार मांस खानेवाले लोगों से हम घृणा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसमें दोष हमारा ही है। अगर हम मुर्दार चमड़े को अच्छी तरह कमायें, मुर्दार मांस की खाद का महत्त्व जानें और हड्डी और अंतडियों का उपयोग कर सकें, जैसा कि नालवाडी में प्रत्यक्ष होता है, तो फिर मुर्दार मांस खाने का सवाल ही नहीं रहता।

पिंजरापोल का प्रश्न कठिन है, देशभर में उनकी संख्या काफी है। शायद हर बड़े कस्बे में, एक-दो धर्मार्थ गोशाला होंगी, उनके पास रुपया भी बहुत जमा है। बहुतों की व्यवस्था बिगड़ी है। जब से मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आया हूं, तभी से मैंने पिंजरापोलों के सुधार की रट लगा रखी है। लेकिन जब तक हम यह न समझ लेंगे कि इन संस्थाओं का असली कार्य क्या है, तब तक उनमें देश का रुपया जिस तरह बर्बाद होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। उनका असली काम उन सूखे, बूढ़े और अपाहिज गाय-बैलों का पालन करना है, जिनकी देखभाल मालिक अलग-अलग नहीं कर सकते। शहरों में तो उनका पालन दर असल असंभव है। इन संस्थाओं का काम दूध का व्यवसाय करना नहीं है। हां, वे चाहें तो एक अलग दुग्धालय या गोशाला

विभाग रख सकते हैं। लेकिन उनका मुख्य धर्म यही है कि बूढ़े और अपंग ढोरों का पालन करें और चर्मालय के लिए कच्चा माल भेजें। हर पिंजरापोल के साथ एक-एक सुसज्जित चर्मालय होना चाहिए। उन्हें उत्तम सांड भी रखने चाहिए, जो जनता के भी काम आ सकें। शेष सांड और बछड़ों को खस्सी कर के वैल बनाने के लिए उन संस्थाओं के पास अहिंसक और वैज्ञानिक साधन होने चाहिए। खेती और गोपालन की शिक्षा का भी प्रबंध उनमें होना चाहिए। हमारे खेती और गोपालन की उच्च शिक्षा पाये हुए नौजवानों के लिए पिंजरापोलों में सेवा का विशाल क्षेत्र मौजूद है। हर पिंजरापोल में इस तरह का एक-एक विशारद रहे। उसे अनुभव और तालीम भी मिलेगी।

आज तो गाय मृत्यु के किनारे खड़ी है और मुझे भी यकीन नहीं है कि अंत में हमारे प्रयत्न इसे बचा सकेंगे। लेकिन यह नष्ट हो गयी तो उसके साथ ही हम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायेगी। मेरा मतलब हमारी अहिंसा-प्रधान और ग्रामीण संस्कृति से है। इसीलिए हमें दो में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। या तो हमें हिंसक बनकर घाटा देनेवाले सब पशुओं को मार डालना होगा और उस हालत में योरप की तरह हमें दूध और मांस के लिए पशुपालन करना होगा। लेकिन हमारी संस्कृति मूल में ही दूसरी तरह की है। हमारा जीवन हमारे जानवरों के साथ ओतप्रोत है। हमारे अधिकांश देहाती अपने जानवरों के साथ ही रहते हैं और अक्सर एक ही घर में रात बिताते हैं। दोनों साथ जीते हैं और साथ ही भूखों मरते हैं। बहुधा मालिक अपने दुबले ढोर को बहुत कम खिला कर उसका शोषण करता है, उसके साथ मारपीट करता और निर्दयता से काम लेता है। लेकिन हमारा काम करने का ढंग सुधर जाये तो हम दोनों बच सकते हैं, नहीं तो हम दोनों को एक ही साथ डूबना है और न्याय भी यही है कि साथ ही डूबें और साथ ही तरें।

हमारे सामने तो हल करने का प्रश्न आज अपनी भूख और दरिद्रता का है। लेकिन मैंने आज सिर्फ अपने ढोरों की भूख और दरिद्रता का सवाल ही सामने रखा है। हमारे ऋषियों ने हमें रामबाण उपाय बता दिया है। वे कहते हैं, “गाय की रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जायेगी।” ऋषि ज्ञान की कुंजी खोल गये हैं। उसे हमें बढ़ाना चाहिए, बरवाद नहीं करना चाहिए।

—‘गो सेवा की विचार धारा’ से

विश्व को भारत की अद्वितीय देन

(दादा धर्माधिकारी)

कई प्राचीन और आधुनिक देशों की मानवीय विकास के लिए अनमोल देने हैं। वे जितनी अनमोल उतनी ही विशिष्ट भी हैं। उसी प्रकार भारत की अध्यात्म और दर्शन के विषय में विश्व को जो देने हैं वे अवश्य ही असाधारण हैं। परंतु भारत की दो देने तो असाधारण ही नहीं, अपितु अद्वितीय हैं। वे दो देने हैं — निरामिष आहार और गाय की पूजा। भारत की जीवन-दृष्टि में मानवीय जीवन को समृद्ध करनेवाले सभी साधन जीवन की विभूतियां मानी गयी हैं। वृक्ष, लताएं और पौधों के अतिरिक्त नदी पर्वत तथा चंद्र, सूर्य और नक्षत्र भी विभूतियां ही मानी गयी हैं। यह मनुष्य की आदिम अवस्था की जड-वस्तु-पूजा या अँनिमिझम नहीं है। यह सर्वतोभद्र जीवनदर्शन है।

भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पर करोड़ों की संख्या में मनुष्य निरामिष भोजी है और जहां गाय जैसा एक मनुष्येतर जीवधारी अवध्य माना गया है। यह कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, और न केवल एक कोरा भावनात्मक जड कर्मकाण्ड है। इसका इंगित है जीवन की प्रतिष्ठा में। इस पृथ्वी पर सारे मूल्यों का चरम मूल्य जीवन ही है। और इसलिए जीवननिष्ठा मानवीय संस्कृति का सबसे महान संकेत है। उस जीवन निष्ठा का (रेवरन्स फार लाइफ का) जीवंत प्रतीक गाय है। एच. जी. वेल्सने एक प्रसंग में पूछा है — 'क्या तुम में इतनी अक्ल और नीयत है कि जीवन की हिफाजत कर सको?' इस प्रश्न का उत्तर भारतवर्ष ने दिया है। इसलिए गाय के विषय में भारतीय सांस्कृतिक संकेत केवल भारतीय नहीं है, किंतु मानवीय संकेत है, जो सार्वभौम और विश्वव्यापी है।

जिस दिन मनुष्य ने पशु को अपना खाद्य पदार्थ मानना छोड़कर उसे अपने जीवन में जीविका के अर्जन के लिए दाखिल किया उस दिन उसने अपने सांस्कृतिक विकास में एक चरण आगे रखा। कई पशु एक के बाद एक उसके जीवन को संपन्न बनाने में और उसका वैभव बढ़ाने में सहयोगी हुए, परंतु उन सबमें गाय का स्थान विशेष है। जीविका के संयोजन में गाय और उसकी संतान का योग-दान मौलिक है। गाय शराफत और सेवा में अपना सानी नहीं रखती। इसलिए भारतीय साहित्य, कला तथा सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में उसका प्रतीक महामहिमान्वित हुआ।

इस दृष्टि से गोहत्या-बंदी की मांग मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन के लिए प्रगतिशील और पुरोगामी मांग है। उसे दकियानुसी, प्रतिक्रियावादी जो कहते हैं, वे आधुनिकता के नाम पर जीर्ण मतवाद का प्रतिवादन करते हैं। क्या जीवननिष्ठा प्रतिक्रियावादी मूल्य है? जो लोग यह मांग करते हैं कि मनुष्य की हत्या के लिए भी मनुष्य को

फ्रांसी की सजा न दी जाये, और युद्ध में भी मनुष्य का वध न हो, उन्हें हम प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं? जो लोग इसे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद कहते हैं, उन्हें अधिक विचार करने पर यह पता चलेगा कि इसमें न रायटिस्ट और न लेफ्टिस्ट का सिद्धांत है, बल्कि 'एम्बिडेक्स्ट्रस'—अर्थात् सव्यसाची मानव के विकास का संकेत है। इसीलिए पू० विनोबा ने कहा है कि उनकी गोहत्या-बंदी की मांग किसी भी धर्म की सिखावन के प्रतिकूल नहीं है। भला जीवननिष्ठा का विरोध कोई भी धर्म कैसे कर सकता है? जीवमात्र के लिए करुणा और आत्मीयता तो सारे धर्मों के मूलभूत तत्त्वों में से एक प्रमुख तत्त्व है। क्या कल मैं ईसाई, मुसलमान या यहूदी बन जाऊं, तो मेरे लिए, यह अनिवार्य होगा कि मैं मांसाहारी बनूँ और जीवहत्या करूँ?

हमारे महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध पंडिता रमाबाई का अनुपम उदाहरण है। ईसाई धर्म की दीक्षा देने में वे शराब का प्रयोग नहीं करती। क्या इसलिए उनकी इशुनिष्ठा में कोई त्रुटि आयी थी? किसी भी धर्म के लिए मांसाहार या जीवहत्या धार्मिक विधान हो सकती है यह कल्पना करना ही उस धर्म के प्रति अन्याय करना है। पशुबलि और मांसाहार की अनुज्ञा हो सकती है। लेकिन आज्ञा कैसे हो सकती है? मीमांसा-शास्त्र में इसे परिसंख्या विधि कहा है। परिसंख्या विधि का अर्थ है—कि उस प्रकार के आचरण को धर्म क्षम्य मानता है, प्रशस्त नहीं। मांसाहार और पशुबलि की विधियां इसी प्रकार की हैं। अंत एक भारतवर्ष में जो धर्म विद्यमान हैं, उनमें से किसी भी धर्म के प्रमुख अनुयायियों ने गोहत्या-निषेध का अब तक कहीं भी विरोध नहीं किया है, यह उनकी धार्मिकता का द्योतक है। आशा और विश्वास है कि अनेक मुस्लिम, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों के अनुयायी विनोबा की इस मांग का खुले दिल से और धार्मिक भूमिका से समर्थन करेंगे, उनसे यह साग्रह अनुरोध है।

एक बार गाय को अवध्य करार देने के बाद मनुष्य उसके संरक्षण की योजनाएं गंभीरता से सोचने लगेगा। सच तो यह है कि मनुष्य को अवध्य करार देने के बाद के भी हम उसे बचा नहीं सके हैं। फिर भी किसी ने यह प्रतिपादन तो नहीं किया है कि मनुष्यों का संहार करना चाहिए या नरमांस बाजारों में विकना चाहिए। गोहत्या-बंदी की घोषणा में मनुष्य एक कदम आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। इसलिए यह मांग सर्वथा समर्थनीय है।

पूछा जाता है कि विनोबाजी ने इसी समय यह सवाल क्यों उठाया? जवाब यह है कि दूसरे किसी समय नहीं उठाया इसलिए। रावण ने सीताजी को अशोकवन में ही क्यों रखा? उत्तर है कि किसी दूसरे वन में नहीं रखा इसलिए। यह अशोक वनिका न्याय कहलाता है।

विनोबाजी की इस मांग में न तो दलगत भेद का प्रश्न है और न जनता या सरकार के पक्ष का प्रश्न। काँग्रेसी और गैर काँग्रेसी, शासन और जनता सभी के सहयोग से यह समस्या हल हो सकती है। इसमें विरोध के लिए अवकाश ही नहीं है। अतः सभी संप्रदायों को और दलों के लोगों को इसका असंदिग्ध शब्दों में समर्थन करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि विनोबाजी की मांग को अविलंब पूरा करें। इसमें सरकार द्वारा पहल की आवश्यकता है, क्योंकि अभिक्रम उसके हाथ में है। आखिर मांग है ही कितनी? उसमें दिक्कत ही क्या हो सकती है?

नागपूर - ११-७-७६



मानवता का अगला कदम

पूज्य बाबा,

सविनय प्रणाम -

गोहत्या-बंदी के विषय में आपका आग्रह मुझे सभी दृष्टियों से उचित मालूम होता है। गत ५५ वर्ष मुझे यह बात सतत प्रतीत होती रही है कि हमारे देश में गोहत्या-बंदी अतीव आवश्यक है। मेरी यह राय है कि मानवीय सांस्कृतिक विकास की राह पर वह एक अगला कदम साबित होगा।

मनुष्य ने जिस दिन उसके जीवन में पशु को दाखिल किया उस दिन उसने सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से पहला कदम उठाया। उसके पहले वह पशु की मृगया ही किया करता था या अपने खाद्य के रूप में उसकी ओर देखता था। उसके बजाय अब वह पशु को उसका सहयोगी मानने लगा। कुछ पशु उसने कौतुक के लिए जिंदा खिलौने के तौर पर भी पाले-पोसे परंतु अन्य कुछ पशुओं को उसके आर्थिक संयोजन में भी उसने महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। भारत ने इस विषय में मानवजाति के लिए मार्गदर्शक होनेवाला एक अभिक्रम किया। यह एक ही देश ऐसा है जहां एक पशु अवध्य माना गया और लाखों लोगों ने मांसाहार शतकानुशतक वर्ज्य किया। जीवन जीवित का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना मानवीय संयोजन का मूल हेतु होना चाहिए, इस दृष्टि से मनुष्य के इन दो संकल्पों का महत्त्व है। इसलिए आपका गोहत्या-बंदी के बारे में जो आग्रह है वह मुझे आपके व्यापक मानवता की भूमिका के अनुरूप ही लगता है।

धनतोली, नागपूर

२६-६-७६

विनीत

दादा धर्माधिकारी

गोवध-बंदी

धार्मिक अर्थरचना का बुनियादी पहलू

जयप्रकाश नारायण

परस्परविरोधी धार्मिक भावनाओं के कारण मामला कुछ पेचीदा हो सकता है। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म की यह हिदायत नहीं है कि उसको धार्मिक विधि या पूजा के लिए गाय की कुरवानी करनी ही चाहिए। इसलिए अगर गोहत्या कानून से बंद की जाये तो उससे किसी भी समूह की धार्मिक भावनाओं या संवेदनाओं को चोट लगने की कोई संभावना नहीं है।

क्या कोई यह दलील भी पेश कर सकता है कि गोहत्या-बंदी किसी मानवीय मूल्य के खिलाफ है? दरअसल बात विलकुल उल्टी है। गोहत्या-बंदी ही अपने में एक बहुत बड़े मानवीय मूल्य का प्रतिपादन है। गाय के विषय में हिंदुओं की जो धारणा है, वह किसी दुराग्रह, अंधश्रद्धा या जिनमें मानव-विज्ञानवेत्ताओं ने आदिम अवस्था के परहेज बताये हैं, उनकी वजह से नहीं बनी है। भारतीय सभ्यता की प्रारंभिक अवस्थाओं में ब्राह्मण और ऋषि भी गोमांस भक्षण करते थे, इसके काफी सबूत पाये जाते हैं। धीरे-धीरे मनुष्य की वृत्ति विशद होती गयी। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे पूर्वज अहिंसा के महान सिद्धांत पर पहुंचे। उसे उन्होंने केवल मनुष्यों के लिए ही लागू नहीं किया, बल्कि सारे जीव-जगत् के लिए लागू किया। मानवीय आत्मा के जीवमात्र के साथ तादात्म्य की यह महान प्रक्रिया थी। जिसकी किसी भी प्रकार से हिंसा न की जाये, ऐसे प्राणी के नाते गाय को

चुना गया, यह मेरी समझ में मनुष्य की मनोवृत्ति के विकास का और भूतमात्र के साथ मानवात्मा के तादात्म्य का द्योतक है। सर्व साधारण लोगों के व्यवहार में यह उदात्त सिद्धांत एक निर्बुद्ध रूढ़ी में भले ही बदल गया हो, लेकिन उसकी सबब से किसी बुद्धिमान व्यक्ति को एक महान् विचार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।

इस मानवीय और नैतिक पहलू के अलावा, गोरक्षण का आर्थिक पहलू भी बहुत बड़ा और अनिवार्य महत्त्व रखता है। इस संबंध में भी अत्यंत नम्रतापूर्वक मुझे कहना चाहिए कि हमारे देश का तथाकथित सुबुद्ध और अर्वाचीन लोकमत छिछला है। गाय और उसकी संतान उसका मल-मूत्र और मरने के बाद उसका कलेवर हमारे कृषिसंबंधी तथा ग्रामीण अर्थशास्त्र का अविभाज्य अंग है। जो लोग यंत्रीकृत 'फार्मों' के और तथाकथित वैज्ञानिक पद्धतियों के सपने देखते हैं, वे एक अवास्तविक संसार में रहते हैं, जिसका भारत की परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। हमारी कृषिसंबंधी और ग्रामीण अर्थरचना का भविष्य गाय तथा बैल पर जितना निर्भर है, उतना शायद सिंचाई को छोड़ कर और किसी साधन पर निर्भर नहीं है। इन आर्थिक पहलुओं के कारण भी गाय का रक्षण करना और पशुओं की उन्नति करना परम विवेकयुक्त दायित्व हो जाता है। गाय के रक्षण और गोवंश की उन्नति का प्रश्न गोहत्या-बंदी के साथ शुरू और समाप्त नहीं हो जाता, यह सच है। सरकार को और जनता को उसके लिए दूसरी कई बातें करनी होंगी। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गोवध-बंदी इस समस्या के हल करने का एक आवश्यक उपाय है। इस समस्या के दूसरे पहलू पेश कर के इस सीधे प्रश्न को टालना उचित नहीं है।

— 'सर्वोदय सामयिकी' से

[१९५६]

प्रश्नोत्तर

प्रश्न : गोवध-बंदी के कार्यक्रम के लिए हम क्या करें ? सम्मेलन वगैरा कर के प्रचार करें ?

उत्तर : सम्मेलन मत करो । दो तीन साथी मिलकर घूमो, अकेले मत घूमो । जैन साध्वियां चार पांच मिलकर एक साथ घूमती हैं । मुझे विश्वास है कि किसी भी प्राणी का मांस न खानेवाला सारा जैन समाज इसमें हमारे साथ है ।

संविधान में आदेश है कि इस देश में कहीं भी गोवध न हो । आप जानते हैं बिहार में मुसलमानों की संख्या अधिक है । तो भी बिहार में गोवध-बंदी है । इसलिए मुसलमानों का भी इसमें समर्थन है ।

प्रश्न: गोवध-बंदी का प्रचार कैसे करें ?

उत्तर: गांव-गांव ग्राम-सभा बनाइये । खादी, ग्रोमोद्योग और गोरक्षा ये तीन काम ग्रामसभा उठा ले । अच्छी गायों का रक्षण मालिक करें, कमजोर, निरूपयोगी गायों की रक्षा ग्रामसभा करें । इस तरह गांव-गांव में संगठन हो कर वह ये तीनों काम उठा ले तो गांव मजबूत वनेंगे । मैंने सुना है कि गुजरात में गोवध-बंदी है । लेकिन कमजोर निरूपयोगी गायें बंबई भेजी जाती हैं और वहां उनकी कत्तल होती है । इस तरह गायों को जाने नहीं देना चाहिए ।

प्रश्न : गोवध-बंदी का प्रचार करते समय सरकार पकड सकती है ।

उत्तर : पकड भी सकती है, जकड भी सकती है और अकड भी सकती है, सब कर सकती है । लेकिन वे लोग कुछ नहीं कर पायेंगे अगर आप हिम्मत रखेंगे । हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा ।

प्रश्न : सरकार के तरफ से अन्याय हो रहा है तो उस वक्त चुपचाप बैठना क्या अच्छा है ?

उत्तर : मैंने तो स्पष्ट कह दिया है कि जिसे जो उचित लगता है वह लोगों में जा कर निर्भयतापूर्वक कहना चाहिए । भूमिगत रहकर, छिप कर कुछ नहीं करें । जो कुछ करना है वह खुल्लं खुल्ला करें ।

प्रश्न : आप कहते हैं, इमरजन्सी अमरजन्सी नहीं है । तो हम कब तक चुप बैठे रहे ?

उत्तर : आपको एक क्षण भी चुप नहीं बैठना चाहिए । सतत खुले तौरपर आपके विचार समझाते रहना चाहिए । फिर वे विचार इमरजन्सी के बारे में हों, गोहत्या-बंदी के बारे में हों या जीव-दया के बारे में हों । निरंतर विचार समझाते रहना, और उसका जो परिणाम आयेगा वह भुगतने की तैयारी रखना ।

प्रश्न : सरकार के साथ संघर्ष की मनोवृत्ति रखकर गोहत्या-बंदी का कार्यक्रम करने से क्या नुकसान नहीं होगा ?

उत्तर : जरूर नुकसान होगा । गाय हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है । इसलिए गोहत्या-बंदी यह तो अंत्योदय है । यह काम प्रेमपूर्वक उठाना है, संघर्ष की मनोवृत्ति से नहीं । यह तो प्रेम का प्रश्न है, मातृप्रेम का ।

प्रश्न : आपकी राय है कि सत्याग्रह में दबाव नहीं आना चाहिए । आपने गोहत्या के प्रश्न के लिए उपवास का संकल्प किया है । इसमें दबाव नहीं आता है ?

उत्तर : दबाव बिलकुल नहीं । यह तो प्रेम का संदेश है । जिस माता ने मुझे जन्म दिया है उस का दूध मैंने एक वर्ष तक पिया है । बाकी अस्सी साल तो गोमाता के दूध पर ही मैं जी रहा हूं । उसका

मुझ पर बड़ा उपकार है । इसलिए इसमें दया का भाव है, दवाव का बिलकुल नहीं ।

प्रश्न : ११ सितंबर तक गोवध-बंदी न हुई तो ?

उत्तर : तो चारों वाजुओं से मदद आयेगी । परंतु इसमें 'अगर-मगर' की बात ही नहीं । बाबा को पूरा विश्वास है कि गोवध-बंदी होनेवाली ही है । भगवान ने सिर्फ बाबा को ही सद्बुद्धि नहीं दी, दूसरों को भी उसने सद्बुद्धि दी है ।

प्रश्न : सरकार न माने तो ।

उत्तर : बाबा परमात्मा के पास चला जायेगा । सब आप पर छोड़कर । और आप सब मरने तक जीयेंगे ।



सहयोग का दिशासूचन

गोवध-बंदी के काम में आज तक अनेक संत-महंत एवं गोरक्षा प्रेमी संगठनों एवं सज्जनों ने भाग लिया है । पू. विनोबाजी का यह संकल्प उसी गोवध बंदी के कार्य की पूर्ति के लिए है । इस में सभी का सहयोग अपेक्षित है ।

लेकिन इस बार की पद्धति में काफी फरक है । इस बार हमें किन मर्यादाओं में सहयोग करना है इस का दिशासूचन पू. जगद्गुरुजी को लिखे पत्र में है । अतः सबकी जानकारी के लिए पत्र नीचे दिया है ।

आदरणीय जगद्गुरुजी,

सविनय प्रणाम

पूज्य विनोबाजी के पास आपकी ओर से पत्र मिला था । उनके सेक्रेटरी की ओर से आपको गोवध-बंदीनिमित्त बना कार्यक्रम मिला ही होगा । तारीख ११ अगस्त को शाम को ६ बजे सारे भारत में गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में प्रार्थना-सभाएं होनी चाहिए । तारीख १२ अगस्त से ११ सितंबर तक पद-यात्रायें निकाली जानी चाहिए । उन पदयात्राओं में शाम की सभा के बाद नित्य भगवद् प्रार्थनाएं होनी चाहिए ।

जहां तक जनमत का सवाल है भारत का जनमत गोहत्या-बंदी के पक्ष में है, यह बात अनेक प्रसंगों में सिद्ध हो चुकी है । इस बारे में भारत सरकार के पास करोड़ों हस्ताक्षर पहुंचे हैं । अनगिनत प्रस्ताव, तार, पत्र पहुंचे हैं । सात लाख का अभूतपूर्व जुलूस दिल्ली ने देखा है । ऐसी स्थिति में इस बार सरकार को प्रस्ताव, तार आदि कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं मानी है । २५ हजार सन्त-साधु जन जेलों में रहे हैं । सौ-सौ साल के नग्न साधु भी जेल गये हैं, जिनका राजनीति से कोई लेन-देन नहीं, एक मात्र गोमाता को बचाने के शुद्ध हेतु से जेलों में रहे । यह सारा इतिहास आप लोगों की कृति है, सहयोग हमारा भी रहा है । इस बार यह सावधानी रखनी है कि इसे राजनीति या सांप्रदायिकता का रंग न चढ़ने पावे । जहां तक पूज्य विनोबाजी का सवाल है, वे संशयातीत हैं । उनके हेतु के बारे में सरकार को भी शंका नहीं हो सकती । शुद्ध गोरक्षा के हेतु से ही उनका यह संकल्प है । किसी भी प्रकार सरकार को परेशानी में डालने का जरा भी मानस नहीं है ।

पिछले हमारे सारे आंदोलन सरकार पर दबाव ला कर सरकार के जरिये गोवध-बंदी करवाने के रहे हैं । इस बार सरकार से बातचीत

करने का भार पूज्य विनोबाजी और माननीया इन्दिराजी पर छोड़ देना चाहिए । उनके बीच में हम लोगों की जरा भी दखल न हो तो अच्छा है । आज के इस गोरक्षा महायज्ञ से हमें भगवान् को जगाना है । जनता की नैतिक शक्ति बढ़ानी है । भगवान् जागते हैं तो सरकार और जनता दोनों पर असर होता है । सरकार के जरिये गोवध-बंदी कानून और जनता के जरिये गोसंवर्धन होना चाहिए । दोनों के सहयोग से ही गोमाता बच सकती है । इसलिए किसी भी शक्ति को तोड़े बिना दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करना है । इस महायज्ञ में साधु-सन्तों का योग सर्वाधिक हो सकता है । घर-घर में नित्य प्रार्थनाएं हो, इसका वे प्रचार कर सकते हैं । नित्य प्रवचनों के अन्त में गोरक्षा के लिए सामूहिक प्रार्थना करने का नियम रख सकते हैं । सभाओं में प्रार्थना करा सकते हैं कि सरकार और जनता दोनों को प्रभु सन्मति दे, गोमाता की रक्षा करें, एव विनोबाजी का संकल्प सफल हो । नैतिक शक्ति के जागरण के लिए पूज्य बाबा की सूचना है कि हमारा काम प्रेमपूर्वक और निर्भयता-पूर्वक खुले आम हो ।

१२ अगस्त से ११ सितम्बर तक महीना भर, चातुर्मास में यात्रा न करने के नियम को थोड़ा ढीला करके आम लोगों के साथ सन्तजन भी पदयात्राओं में निकल पड़ेंगे तो सारा भारत जाग उठेगा । गली-गली में भगवत नाम और गोमाता की जयजयकार गूंज उठेगी । मेरे चित्त में दृढ़ विश्वास है कि पूज्य विनोबाजी जैसे सन्त का संकल्प जो भगवद्-प्रेरणा से हुआ है, उसे सफल करने के लिए भगवान् स्वयं भूमि पर उतर आयेंगे । भक्त प्रह्लाद को जिसने बचाया वह अभी सोया नहीं है । जरूरत इतनी ही है कि हम अपना कर्तव्य करें । हमारी शक्ति टूटने लगेगी तब वह आयेगा ।

गोपुरी - वर्धा

१०-७-७६

संयोजक

संयुक्त गोवध-बंदी समिति

राष्ट्र की सर्वाधिक आमदनी गाय से

डॉ. राजेंद्रप्रसाद (भारत के खाद्य व कृषिमन्त्री)

गाय दूध देती है, बैल हल जोतने और बोझा ढोने का काम करते हैं, दोनों घास चारा खाते हैं और घास चारे को कीमती खाद के रूप में वापस देते हैं। मरने पर कीमती चमड़ा देते हैं और हड्डी वगैरह सब कुछ फिर जमीन में खाद के रूप में वापस जाता है। इन सबका रूप्यों में दाम लगाया गया है सर आर्थर आलवर ने हिसाब लगा कर बतलाया था कि इन सबकी कीमत करीब १९०० करोड रुपया होती है। सन् १९३७ में डॉ. राईर ने चीजों के १९२९ में जायज दर पर दाम लगाया तो उनके हिसाब से उनकी कीमत करीब १००० करोड रुपये हुई। इन दोनों आदमियों के आंकड़ों में फर्क है तो भी इतना तो जाहिर है कि हमारे मवेशियों से हमको कितना नफा पहुंचता है। इसकी अहमियत और भी साफ जाहिर होती है जब इसका मुकाबला अपनी तिजारत के आंकड़ों से करते हैं। हमारी सारी तिजारत यानी आयात निर्यात दोनों मिल कर ३० करोड हुआ करती थी। देश में जितना चावल है उसकी कीमत मवेशियों से हुई आमदनी की एक तिहाई और गेहूं की कीमत एक चौथाई है। इसी से समझ सकते हैं देश में फैले हुए जानवर मेहकी बूंदों की तरह आमदनी देते हैं। यह मुनाफ गोवंशकी आज की गिरी हुई हालत में है। जाहिर है कि उनकी तरक्की की जाय तो मुनाफे की रकम आसानी से डचौढीदूनी की जा सकती है। उनकी उन्नति के साथ खेती की उन्नति भी होगी।

पहली जरूरी चीज है गाय की नसल सुधारी जाय। नसल ऐसी हो जो सिर्फ जादह दूध न दे बल्कि अच्छे बछड़े भी दे। कुछ नसलें

ऐसी हैं जो दूध ज्यादा देती हैं मगर उनके बछड़े निकम्मे होते हैं या उतना काम नहीं देते जितना देना चाहिए । कुछ ऐसी नसलें भी हैं जिनके बछड़े काम देते हैं पर उनमें दूध बहुत ही कम है । हमारे देश की परिस्थिति में खास कर के गांवों में जहां खेती होती है ऐसी गाय होनी चाहिए जो ज्यादा मिकदार में दूध दे और अच्छे बछड़े दे । दोनों ही अच्छे हों ऐसा नसलों में सुधार किया जा सकता है । आज साईन्स इतनी तरक्की कर चुकी है कि कुछ दिनों में नसल का सुधार इस मकसद को सामने रख कर किया जा सकता है । हमारे पूर्वज भी इस विद्या को जानते थे क्योंकि उन्होंने हर किस्म की नसलें अपनी जरूरत के मुताबिक इस मुल्क में पैदा की थी । दूसरी बात जिसपर गौर करना जरूरी है वह यह कि यहां जो नसल आज फ़ैली हुई है उसी को तरक्की देना बेहतर होगा । दूर दूर से किसी तरह अच्छी नसलों को ला कर रखा जाता है तो कुछ दिनों के बाद वह नसल कमजोर पड जाती है । आदमी की तरह आबोहवा का असर जानवरों पर भी पडता है जिस जगह जो खुराक मिलती है वही वहां के आदमी और जानवरों के लिए मुवाफिक होती है । अगर खुराक दूसरी जगह से ला कर देना मुमकीन भी हो तो भी आबोहवा दूसरी जगह से नहीं ली जा सकती । खुराक भी लाना आसान नहीं । इसलिए जिस आबोहवा और खुराक पर जो पला है उसी में वह सबसे ज्यादा तरक्की कर सकता है । होशियारी इसी में है कि इससे नफा उठाया जाय । जाहिर है मुकामी नसलों को ही तरक्की देना ज्यादा लाभ की बात होगी ।

अमृतसर

२०।१०।१९४६

(गोसेवा-संमेलन के भाषण से)

गोहत्या का नामोनिशान न रहे

(मुगल शहेनशहा अकबर का फर्मान)

सल्तनत के प्रबंधक गण, कर्मचारी, अमीर-उमराव, परगनों के हाकिम और शाही मुल्को के कारोबार के जिम्मेदार जान लें कि इस न्याय के युग में यह फरमान जारी किया गया है। इसका पालन सबके लिए परमावश्यक है। सबको मालूम रहे कि समस्त पशु ईश्वर के बनाये हुए हैं और सबसे एक न एक लाभ होता है। इनमें गाय जाति, चाहे वह मादा हो या नर अत्यंत लाभ देनेवाली है; क्योंकि मनुष्य और पशु अन्न खाकर जीते हैं। अन्न खेती के बिना हो नहीं सकता। खेती हल चलाने से ही हो सकती है और हलों का चलना बैलों पर ही निर्भर है। इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त संसार और पशुओं तथा मनुष्यों के जीवन का आधार गाय जाति ही है। ऊपर लिखे कारणों से हमारी ऊंची हिम्मत और साफ नीयत का यह तकाजा है कि हमारे साम्राज्य में गोहत्या का रस्म विलकुल न रहे। इसलिए इस शाही फरमान को देखते ही समस्त राज्य कर्मचारियों को इस विषय में विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे शाही फरमान के अनुसार अबसे किसी गांव और शहर में गोहत्या का नाम और निशानतक बाकी न रहे। यदि कोई आदमी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा और वर्जित काम को नहीं छोड़ेगा तो वह समझ ले कि उसको सुलतानी गजब में (प्रकोप में) जो ईश्वरीय कोप का नमूना है, फंसना पड़ेगा और वह दंडनीय होगा।”

— कल्याण (गोरखपुर) अक्टूबर १९४५

गाय ने ही मांसाहार छुड़ाया

काकासाहेब कालेलकर

महाभारत-काल में मांसाहार प्रचलित था। चंबल नदी के किनारे राजा रंतिदेव के यज्ञ में हजारों पशुओं का वध होता था। उसका वर्णन पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में न सिर्फ मांसाहार का रिवाज था, बल्कि किसी समय गोमांस भी खाया जाता था। बाद में गाय से ही हमें अहिंसा की शिक्षा मिली। कैसे, सो आगे सुनियेगा। चूंकि दूसरे पशुओं की अपेक्षा गाय का ऋण हम पर अधिक है, इसलिए उसकी रक्षा हमें विशेष रूप से करनी है।

मनुष्य विना मांस के अपना काम न चला पाता लेकिन, चूंकि गाय ने अपना दूध और घी उसे विशेष मात्रा में दिया, इसलिए वह मांस छोड़ सका। गाय ने अपनी देह का निचोड़ दूध और घी के रूप में देकर अपने वंश और दूसरे जानवरों को बचा लिया है। दूसरी ओर गोपुत्रों ने यानी बैलों ने हमारे खेतों में मेहनत करके अनाज इतनी मात्रा में पैदा कर दिया कि मांसाहार की आवश्यकता कम हो गयी।

तीसरी एक बात और भी हुई। बैलों ने कपास की खेती में हमारी मदद करके हमें अच्छे कपड़े दिये और जब कपड़ों के कारण हमारी गर्मी सुरक्षित रहने लगी, तो हमारी खुराक कम हो गयी यानी हमें ज्यादा खाने की जरूरत न रह गयी। अन्न और वस्त्र दोनों का हेतु है—शरीर की गर्मी को बनाये रखना। जब पूरे कपड़े मिलने लगते हैं, तो आहार कम हो ही जाता है। जो साधु बहुत ही कम कपड़े धारण करते हैं, उनकी खुराक ज्यादा होती है। मैंने उनके बीच स्वयं रहकर इसे देखा है। इस तरह बैल ने अहिंसा के पालन में हमारी बड़ी मदद की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अहिंसा का तकाजा है कि हम गाय और बैल की विशेष रूपसे रक्षा करें।

गाय : आर्थिक जीवन का प्रतीक

जो. का. कुमारप्पा

आज गाय को बूचडखानों से बचाने के लिए खूब बातें की जाती हैं। यह खुशी की बात है कि भारी पशु-वध के कारण हमारे देश में जो बुराइयां आयीं, लोग उन्हें समझने लगे हैं। निरी संकुचित दृष्टि से देखें, तो चूँकि एक शाकाहारी देश में दूध की आवश्यकता बड़े महत्त्व की होती है, गाय को राष्ट्र की पोषिका के रूप में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उससे बैल भी मिलते हैं, जिनके बल पर किसान खेती करता है। गाय को माता का पूजनीय स्थान दे कर गो-वध को एक धार्मिक प्रश्न के स्तर पर ला कर प्रश्न के इस पहलू के महत्त्व को पूरी तरह समझा दिया गया है। किसी तरह पागलपन के कारण जहां एक ओर इतनी ऊंची भावना थी, वहां दूसरी ओर कितनी संकुचित मनोवृत्ति हो गयी। इसलिए अब हिंदुस्तान में गाय का ठीक-ठीक स्थान क्या है, यह तय कर लेना और राष्ट्रीय पैमाने पर उसके बारे में सोचना जरूरी हो गया है।

एक कारीगर के लिए जिस औजार का वह उपयोग करता है, वह बिल्कुल पूजा की चीज बन जाता है। वास्तव में इस संस्कार को कराने के लिए हिंदुस्तान में शस्त्रपूजा का एक निश्चित त्यौहार ही हम मनाते हैं। मनुष्य जानता है कि आर्थिक दृष्टि से वह उत्पादन के साधनों पर अवलंबित है। जैसे एक कारीगर अपने औजारों पर

...हृदय-बल, बुद्धि-बल, विज्ञान-बल, धन-बल, व्यापार-बल और संघ-बल काम में लेकर धर्मनिष्ठ मनुष्य को मनुष्य-कुटुम्ब में दाखिल हुए असहाय प्राणी, गोवंश का रक्षण करना चाहिए। काकासाहेब

निर्भर रहता है, एक किसान गाय पर निर्भर रहता है और यदि हम आर्थिक क्षेत्र का प्रसार करें, तो कह सकते हैं कि गाय चूँकि अन्न के उत्पादन का साधन है इसलिए वह मनुष्य के आर्थिक संगठन का केंद्र बन जाती है, खास तौर से हिंदुस्तान जैसे कृषि-प्रधान देश में।

इस पक्ष को छोड़ कर जब हम गाय पर बैल की जननी के रूप में विचार करते हैं, तो गाय का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। अब वह हमारी अर्थ-व्यवस्था का केंद्र बन जाती है। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को, जहां चालक-शक्ति, यातायात, अन्न-उत्पादन इत्यादि में गाय की बड़ी देन है, उसी प्रकार “गाय-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था” कह सकते हैं, जैसे इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देश, बहुत दिनों की बात नहीं है, ‘अश्व-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था’ वाले थे।

पिछली शताब्दी में ही इंग्लैंड अश्व-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था को छोड़ कर कोयला-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था में आया और अब कोयला-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था से बड़ी तेजी के साथ तेल-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इन सब स्थितियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है; क्योंकि दुनिया का भाग्य ही, जिन साधनों में हमें शक्ति मिलती है, उन पर निर्भर है।

गाय और अश्व-केंद्रित अर्थ-व्यवस्थाओं में हमारे साधन असीम रहते हैं, क्योंकि हम चाहे जितने बैल और अश्व उत्पन्न कर सकते हैं। और चूँकि जितनी संख्या में वे प्राप्त होते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए किसी के मन में लालच या ईर्ष्या पैदा नहीं होती। लेकिन कोयला और पेट्रोल या तेल सीमित है और सीमित मात्रा में मिलते हैं, इसलिए शक्ति के ऐसे साधन जैसे ही वे समाप्त होने लगते हैं, राष्ट्रों में झगड़े की जड़ बन जाते हैं। अब यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि इन महायुद्धों का बड़ा कारण अलग-अलग राष्ट्रों का तेल के स्रोतों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न ही था, इसलिए

कोयले और तेल पर निर्भर अर्थ-व्यवस्थाएं राष्ट्रों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं। इन दोनों से भिन्न गाय और अश्व-केंद्रित अर्थ-व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत शांतिमय व्यवस्थाएं हैं। इसलिए व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि जब हम गाय केंद्रित अर्थ-व्यवस्था को तोड़ते हैं तो वास्तव में हम गोवध ही करते हैं। दूसरे शब्दों में जब हमारे काम “गाय-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था” के विरुद्ध होते हैं, तो हम गो-रक्षकों की पंक्ति से बाहर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम चालक-शक्ति के लिए कोयले और तेल से काम लेते हैं, तब हम वास्तव में गाय को अपनी अर्थ-व्यवस्था से निकाल देते हैं। जब हम कंकरीट या तारकोल की पक्की सड़कें बनाते हैं, जो जानवरों की सुविधा की दृष्टि से नहीं बनायी जातीं, तब भी हम गाय-केंद्रित अर्थ-व्यवस्था को तोड़ने का अपराध करते हैं। केवल एक चार पांव और दो सींगवाले जानवर के वध की अपेक्षा इस प्रश्न का यह (आर्थिक) पहलू हमारे लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है।

हमें आश्चर्य होता है, गोवध का विरोध करनेवाले हमारे कितने दोस्त ऐसे निकलेंगे, जो गोरक्षा के ऊंचे अर्थ में यह कह सकें कि उनके हाथ गोरक्त से नहीं सने हैं। खादी की तरह गाय भी एक तरह के जीवन का प्रतीक हैं। इसलिए गोवध का यही अर्थ होगा कि उस प्रकार के जीवन को असंभव बना देना। हमें आशा है, जो लोग गोरक्षा के हामी हैं, वे जिस चीज के लिए खड़े हैं, उसके विस्तार को समझें और इसी विस्तार के साथ उस पर अमल करने में पूरे दिल से सहायता और सहयोग दें।

गोरक्षण की भूमिका

श्रीमन्नारायण

[अध्यक्ष, कृषि-गोसेवा संघ]

भारतीय संविधान की 48 धारा में राज्यों को यह निश्चित आदेश दिया गया है कि वे कृषि और पशु-पालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने के लिए गो-संवर्धन की ओर विशेष ध्यान दे और गायों, बछड़े-बछड़ियों तथा बैलों के वध को बंद करे। १९५८ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय को जाहिर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की इस धारा के अनुसार गायों तथा बछड़े-बछड़ियों को पूरा संरक्षण देना चाहिए। साथ ही साथ उपयोगी बैलों का भी वध बंद हो। यह कानून सिर्फ अनुपयोगी बैलों के लिए लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार काफी राज्यों ने गोवध-बंदी कानून बनाये हैं। कुछ राज्यों के कानून अधूरे हैं, और कई राज्य सरकारों ने संबधित कानून अभी तक बनाये ही नहीं हैं।

पूज्य विनोबाजी बहुत वर्षों से भारत में संपूर्ण गोवध-बंदी की मांग करते आये हैं। स्वराज के पहले और बाद में भी उन्होंने कई बार इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बल दिया है। जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी उस समय भी विनोबाजी ने योजना आयोग का ध्यान इस ओर स्पष्ट शब्दों में खींचा था। पिछले २-३ वर्षों से अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ की वार्षिक बैठकों में भी उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि भारत सरकार अपने संविधान की तत्संबंधी धारा को शीघ्र लागू करेगी। इस वर्ष तारीख १३ जून को कृषि-गो-

सेवा संघ की कार्य समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए पूज्य विनोबाजी ने कहा :—

- (१) “गोहत्या भारत में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है ।
- (२) भारतीय संविधान में गोहत्या-बंदी का निर्देश है ।
- (३) सत्ता कांग्रेस ने गाय बछड़ा अपना चुनाव-चिह्न रखा है ।”

विनोबाजी ने यह भी समझाया : “कुरान में यह स्पष्ट आदेश दिया गया है की हमें गाय का दूध लेना चाहिए और उसका बड़ा उपकार मानना चाहिए । बाइबिल में भी सेन्ट पाल का वचन है कि ‘अगर मेरे साथी को मेरा मांसाहार करना बुरा लगता है तो मैं मांसाहार नहीं करूंगा ।’ सिखों के आखिरी गुरु हैं गोविंद सिंह । गोविंद तो गाय को मारनेवाला हो ही नहीं सकता । तात्पर्य यह है कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख गोवध-बंद करने के पक्ष में हैं । अतः सारे देश में गाय की हत्या बंद होनी ही चाहिए ।’

यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि विनोबाजी के गोवध-बंदी संबंधी संकल्प से देश में हिंसा व अशांति का वातावरण बनेगा और समाज-विरोधी तथा सांप्रदायिक तत्त्व उसका लाभ उठावेंगे । ऋषि विनोबा ने स्वयं कुरान-शरीफ का बहुत गहरा अध्ययन किया है और वे अपने आपको ‘मौलाना विनोबा’ के नाम से भी पुकारते हैं । उन्होंने ईसाई, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध आदि सभी मजहबों का गहन अभ्यास किया है और उनके बुनियादी सिद्धांतों के नवनीत को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित भी किया है । इसलिए यह इशारा करना कि उनकी मांग भारत जैसे ‘सेक्युलर’ राज्य में अनुचित है सरासर भ्रामक होगा । पूज्य विनोबाजी की राय तो यह है कि हमारे देश में बैलों सहित संपूर्ण गोवंश का संरक्षण हो । किंतु वे फिलहाल इतना ही चाहते हैं कि हमारे संविधान की ४८ धारा सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार सभी राज्यों

में लागू किये जाने का प्लान भारत सरकार द्वारा उनके अगले जन्म-दिन, ११ सितंबर, के पहले हो जाय। जिन राज्यों में अभी तक गोवध-बंदी कानून नहीं बनाये गये हैं उन्हें विनोबाजी ने १०० दिन और दिए हैं ताकि वे २१ दिसंबर तक कानून लागू करने के लिए आवश्यक कारवाई कर सकें। इस प्रकार ऋषि विनोबा की मांग सब दृष्टि से न्यायोचित है और उसे स्वीकार करने में शासन को किसी तरह की कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए।

भारत में गोसंवर्धन का महत्त्व स्वाभाविक है। राष्ट्रीय आर्थिक संयोजन की नींव कृषि है, और कृषि की रीढ़ की हड्डी गाय और बैल है। कुछ वर्ष पहले जब मैं जापान गया था तब मैंने पाया कि छोटे-बड़े ट्रैक्टरों के स्थान पर वहां के किसान गाय और बैल का व्यापक उपयोग करने लगे हैं। पूछने पर जापानी किसानों ने उत्तर दिया : “पहले हम मशीनों और कृत्रिम खादों का अधिक उपयोग करते थे। अनुभव से हमने देखा कि ऐसा करने से हमारी हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी। अब हम गाय और बैल से खेती करते हैं। ये एक प्रकार से सर्वोत्तम ट्रैक्टर है क्योंकि न तो इनके कल-पुर्जे बदलने की जरूरत होती है, और न किसी विशेष मिकेनिक की। इसके अलावा गाय हमें स्वास्थ्यप्रद दूध देती है और हमारे खेतों की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उपयोगी गोबर भी मिल जाता है।” और फिर वहां के किसानों ने मुस्करा कर कहा : “साहब, मशीनें न तो दूध देती है और न खाद के लिए गोबर।” भारत में तो हम केवल गायों की पूजा करते हैं, लेकिन उनके सर्वांगीण विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। जापान में तो गोपालन बहुत सावधानी से किया जाता है क्योंकि गाय वहां के ग्रामीण जीवन का अविभाज्य अंग बन गई है।

हम आशा करते हैं कि भारत में गोवध-बंदी के बारे में प्रधान

मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और ऋषि विनोबा के बीच शीघ्र ही सीधी बातचीत शुरू होगी, ताकि आवश्यक निर्णय निश्चित तिथि के पहले ही लिया जा सके। इस विषय को राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाय, और विरोधी दल पूज्य विनोबाजी की गोवध-बंदी की मांग का फायदा उठाने का प्रयत्न न करें। इस संकल्प पर किसी प्रकार की सांप्रदायिकता का रंग चढाने की कोशिश न की जाय। विनोबाजी की दृष्टि राष्ट्रीयता, संस्कारिता और वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है।

हमें यह भी भलीभांति समझ लेना है कि शासन की ओर से आवश्यक कानून बनाये जाने के बाद भी गोवध की समस्या वास्तविक तौर पर तभी हल हो सकती है जब गायों को बचाने के लिए कई प्रकार के ठोस रचनात्मक काम किये जायें। अतः सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि देश भर में पदयात्राओं द्वारा गोसंरक्षण की भूमिका का आम जनता में व्यापक प्रचार करें ताकि देश में गोवध-बंदी के लिए योग्य वातावरण बनाया जा सके। यह ध्यान रखा जाय कि पद-यात्राओं, प्रार्थना-सभाओं और उपवास आदि के कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य देश की नैतिक, आध्यात्मिक व रचनात्मक शक्ति को शांतिपूर्वक जगाना है। इस जनशिक्षण कार्य में संघर्ष या राजनीति की परछाई नहीं पडनी चाहिए। पूज्य विनोबाजी का गोवध-बंदी संबंधी संकल्प एक पवित्र घटना है जिसका प्रभाव भारत सरकार व राज्य सरकारों पर पडे विना नहीं रह सकता। हां, हमें अपना प्रचार-कार्य भी बहुत सावधानी से करना है ताकि उसका असर गहरा और स्थायी हो।

इस दिशा में महात्मा गांधी व आचार्य विनोबाजी के सुझाये हुए नीचे लिखे रचनात्मक कार्य उठाये जा सकते हैं :

१. भारत की गोप्रजनन नीति का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की सर्वांगी (ड्युएल परपज) नस्ल का विकास होना चाहिए जिसके द्वारा

दूध का विपुल मात्रा में उत्पादन हो सके और हमारी कृषि के लिए अच्छे बैल भी तैयार हों। इसके बिना भारत के आर्थिक विकास को गतिशील नहीं बनाया जा सकेगा।

२. गाय का सच्चा संरक्षण तभी हो सकेगा जब वह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन सके। इस दृष्टि से गाय के दूध, घी आदि का व्यापक इस्तेमाल करना जरूरी है। यह काम गौरस भंडारों द्वारा सभी शहरों में करने की योजना बनायी जाय। शासन से यह भी आग्रह किया जाय कि गाय और भैंस का दूध एक ही दाम में खरीदा जाय। यह सच है कि गाय के दूध में घृतांश (फेट) की मात्रा कम होती है। किन्तु उसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भैंस के दूध में नहीं मिलते।

३. क्रास ब्रीडिंग के बजाय सारे देश में स्थानिक गाय की नस्लों को विकसित करने का पूरा प्रयत्न किया जाय ताकि दूध भी अधिक मिले और अच्छे बैल भी तैयार हों। अच्छे सांडों की व्यवस्था करना भी नितांत आवश्यक है।

४. गोसंवर्धन के लिए यह जरूरी है कि पशु-खुराक की पर्याप्त व्यवस्था हो। खाद्यान्न के उत्पादन के साथ ही पशुखाद्य का भी नियोजन हो। इसके लिए मिश्रित खेती की व्यापक ढंग से योजना बनायी जाय। खली आदि पशुखाद्यों का निर्यात भी बंद होना आवश्यक है।

आजकल तैयार पशुखाद्य (केटल पीड) के अनेक कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। किन्तु पशुखाद्य की शुद्धता बनाये रखने के लिए आवश्यक कारवाई करना जरूरी है।

५. देश भर में अनेक गोशालाएं और पिंजरापोल हैं। उन्हें अधिक व्यवस्थित बनाना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। पूज्य महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि प्रत्येक

पिंजरापोल के साथ एक सुसज्जित चर्मालय भी होना चाहिए। उन्हें उत्तम सांड भी रखने चाहिए जो जनता के काम में आ सकें।

६. इस समय कई राज्यों में ऐसे कानून बने हैं जिनमें गोशालाओं और पिंजरापोलों की भूमि के उपर भी सीलिंग लगायी गयी है। इसकी वजह से इन संस्थाओं को भारी धक्का लग रहा है। राज्य सरकारों से आग्रह किया जाय कि गोसंरक्षण की दृष्टि से गोशालाओं व पिंजरापोलों पर भूमि-सीमा के नियम न लगाये जाय।

७. अनुपयोगी गायों और बैलों के लिए गांवों के नजदीक गोसदन और चरागाहों की व्यवस्था की जाय ताकि इस प्रकार के पशुओं का उचित ढंग से संरक्षण हो सके। ग्राम-पंचायतों और जिला परिषदों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहिए।

जैसा गांधीजी ने कई बार समझाया था, गोसेवा का कार्य व्यक्तिगत ढंग से करने के बजाय सहयोगी या सामुदायिक पद्धति से करना चाहिए।

८. गोसंवर्धन के साथ-साथ गुड़, तेल-घानी आदि ग्रामोद्योगों का संगठन करना जरूरी है। अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे ग्रामीण-विकास के लिए कृषि, गोसंवर्धन और ग्रामोद्योग - इन तीनों का साथ-साथ विकास करना नितान्त आवश्यक है।

९. मंदिर, मठ, ट्रस्ट आदि को गोशालाएं तथा पिंजरापोल संचालित करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। उनके द्वारा जो संस्थाएं चल रही हैं उनकी उचित तकनीकी सहायता समय पर देना हमारा फर्ज है।

१०. गोसंवर्धन का वैज्ञानिक ढंग से प्रचार करने के लिए गोप-विद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

११. गोसेवा के विचार को फैलाने के लिए उपयुक्त साहित्य प्रांतीय भाषाओं में प्रकाशित करना जरूरी है ।

१२. देशी और सस्ती पशु चिकित्सा को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए । वर्तमान एलोपैथी की चिकित्सा बहुत महंगी होने के कारण व्यापक नहीं बन सकती है ।

१३. गोसंरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धन भी एकत्र करना होगा ।

१४. इस कार्य को देश भर में सुचारु रूप से चलाने के लिए अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ाना आवश्यक है । प्रांतीय संगठनों के अलावा संभवतः जिलों, तालुकों और गांवों में भी संघ की शाखाएं स्थापित करने का प्रयत्न किया जाय ।

इसके अतिरिक्त स्थानिक समस्याओं के संतोषजनक हल के लिए कई और कार्य भी आयोजित किये जा सकते हैं । मुख्य बात यह है कि सरकारी कानूनों के अलावा हमें आम जनता में विधायक जाग्रति उत्पन्न करनी होगी ताकि सच्चे अर्थ में गोवंश की रक्षा हो सके और हमारा राष्ट्र उन्नतिशील व खुशहाल बने ।



गोवध-बंदी के लिए -

सरकार वचनबद्ध है

रा. कृ. पाटील

[अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ]

पूज्य बाबा ने जाहिर किया है कि यदि देशभर में गोवध-बंदी करने का निश्चय जाहिर न हुआ तो वे तारीख ११ सितंबर १९७६ से आमरण उपवास शुरू करेंगे। यद्यपि इस घोषणा की प्रसिद्धी पर भारत सरकार द्वारा सेन्सर की रोक लगा दी गयी थी, फिर भी अब तक यह खबर शहरों में फैल गयी होगी। इस लेख का उद्देश्य बाबा की घोषणा की पार्श्वभूमि पर प्रकाश डालना है। विनोबाजी की यह मांग बहुत पुरानी है। प्रथम पंचवार्षिक योजना का प्रारूप ले कर जब मैं विनोबाजी के पास १० अगस्त १९५१ को पहुंचा, तभी उन्होंने गोवध-बंदी का प्रश्न उठाया था। उसके बाद उन्होंने इस मांग को बार-बार दोहराया है। यहां तक कि जब उन्हें बताया गया कि यह जनसंघ की भी मांग है, तो उन्होंने कहा, यद्यपि जनसंघ के सब विचारों से वे सहमत नहीं हैं, फिर भी गोवध-बंदी की मांग का वे समर्थन करते हैं। किसी भी पक्ष की उचित मांग को मेरा समर्थन प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने कहा। कई प्रदेशों में कांग्रेस शासन में कानून बन गये हैं, अतः उस पक्ष का भी समर्थन गोवध-बंदी को है ऐसा माना ही जा सकता है।

सन् १९६७ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब गोवध-बंदी की मांग को ले कर पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आदि ने ६५ दिन के उपवास किये थे, तब भी विनोबाजी ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी और यह जाहिर किया था कि उनकी मांग

से वे सहमत हैं। उस समय सात लाख लोगों का एक विशाल जुलूस गोवध-बंदी की मांग के समर्थन में संसदभवन के सामने निकला था। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने गोवध-बंदी के प्रश्न पर सांगोपांग विचार करने के लिए एक कमिटी कायम की, जिसको यह हिदायत थी कि संविधान के धारा ४८ को कार्यान्वित करने की दृष्टि से सुझाव दे एवं जरूरत समझे तो संपूर्ण गोवंश की रक्षा के लिए संविधान में दुरुस्ती करने का भी सुझाव दें। १९६७ में नियुक्त इस कमिटी की रिपोर्ट अभी आनी है। तथापि धारा ४८ के अनुसार कानून बनाने के बारे में अंतरिम सुझाव कमिटी ने दिये हैं, ऐसा पता लगा है।

(१) जब भारत का संविधान तैयार हुआ तब गोवध-बंदी के बारे में धारा ४८ उसमें दाखल की गयी। उसका सारांश इस प्रकार है। याद रहे कि इस परिच्छेद में जो मंशाये हैं, उनके अनुसार सरकार की नीति निर्धारित हो, यह इस परिच्छेद का उद्देश्य है।

खेती और पशुपालन की व्यवस्था आधुनिक और शास्त्रीय पद्धति से करने का प्रयत्न सरकार करेगी। खासकर, गोवंश की नसलों का संरक्षण तथा सुधार, और गाय और उनकी संतति, अन्य दूध देनेवाले और बोझा ढोनेवाले पशु को भी कत्ल से कानूनी संरक्षण देगी। इस धारा की व्याप्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एम० एच० कुरेशी विरुद्ध बिहार राज्य मामले में दिनांक २३-४-१९५७ को एक फैसला दिया, जिसका आशय नीचे दिया हुआ है।

इस प्रश्न का पूरा विचार करने के पश्चात् हम नीचे लिखे निर्णय पर आये हैं -

(अ) किसी भी उम्र की गाय तथा गाय-भैंस के बच्चे (नर या मादा), इनको कत्ल से बचाना कानूनन् बिल्कुल ठीक है और धारा ४८ में दर्शाये नीतितत्त्व के अनुसार है।

(आ) जब तक भैंस, प्रजननयोग्य सांड और काम देनेलायक बैल, दूध या खींचने के काम आते हैं तब तक उनको कत्ल से बचाना कानूनन जायज है और धारा ४८ में दर्शाये हुए नीति के अनुसार है ।

(इ) भैंस, सांड, या बैल और भैंसे, ये जब दूध नहीं दे सकते या प्रजनन या खींचने के काम में नहीं आ सकते, तब कानून से उनकी कत्ल को रोकना ठीक नहीं होगा और यह आम जनता के हित में नहीं होगा ।

२. कानून के बारे में विनोबाजी ने यह साफ कर दिया है कि यद्यपि वे चाहते हैं कि पूरे गोवंश की रक्षा हो, बूढ़े बैल भी कानून से संरक्षित रहें, फिर भी इसके लिए वे अनशन का आग्रह नहीं रखेंगे । अभी तो उनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा ४८ का जो अर्थ किया है, कम-से-कम उसके अनुसार पूरे भारत में कानून हो । नागालैंड जैसे किसी प्रदेश में विशेष परिस्थिति के कारण कोई अपवाद करना पड़े तो बाबा को आपत्ति नहीं होगी ।

३. जब-जब यह प्रश्न लोकसभा में उठाया गया तब-तब भारत सरकारद्वारा यह असंदिग्ध शब्दों में जाहिर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा ४८ का जो अर्थ लगाया गया है वह भारत सरकार को स्वीकार है और उसके अनुसार राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए सूचना भी दी गयी है । सन् १९७० व १९७३ में ऐसे ही वक्तव्य भारत सरकार के कृषिमंत्रालय द्वारा तथा गृहमंत्रालय द्वारा भी दिये गये हैं । अभी तक भारत सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि इस स्वीकृत नीति में परिवर्तन करने का कोई इरादा है । १९६७ में कायम की गयी संरक्षण समिति की रिपोर्ट नौ साल के बाद भी आनी बाकी है । इसलिए लोगों में आशंका निर्माण हुई है कि शायद भारत सरकार स्वीकृत नीति तक भी कायम नहीं रहना चाहती ।

४. गोवध-बंदी के विपक्ष में निम्न दलीलें पेश की जाती हैं—

(अ) देश में ऐसी बहुत-सी गायें हैं, जो न दूध देती हैं, न प्रजनन के काम आती हैं।

(आ) देश में चारे की कमी है और जो चारा उपलब्ध है वह अच्छे मवेशियों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए बेकार गायें, अच्छे जानवरों का चारा खाकर उनको नुकसान पहुंचाती हैं।

(अि) जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए सबसे सस्ता गोश्त गोमांस ही होता है। गरीबों के लिए वह आवश्यक है।

गाय की औसत आयु और बुढ़ापे के कारण दूध या बच्चा न देने की आयु, इनमें बहुत कम अंतर होता है। मृत्यु तक वह अच्छा खाद तो देती ही है। खाद से अन्न व चारे का उत्पादन बढ़ता है, इस कारण बेकार गायों से देश के चारे पर बहुत कम बोझा पड़ता है। यदि चारा काट कर खिलाया जाये तो उसकी मात्रा इतनी बढ़ाई जा सकती है कि सब मवेशियों को पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो सके। गाय के मांस से जितना पोषण मिलता है, उससे भी ज्यादा पोषण उसके दूध से मिलता है। इन सारी दलीलों का निष्कर्ष हर व्यक्ति अपने ख्यालात के अनुसार निकाल सकता है। यह तो कहा ही जा सकता है कि ये दलीलें कुछ नयी नहीं हैं। जब संविधान बना तब भी इन सब दलीलों पर सोचा गया था। और उनके बावजूद एक राय से धारा ४८ संविधान में दाखिल की गयी, यानी गोरक्षा का महत्त्व इन दलीलों से ऊपर समझाया गया। यह भी सोचने की बात है कि जो जमात गोमांस निषिद्ध नहीं मानती उनके प्रतिनिधियों ने भी एक राय से इस धारा के पक्ष में अपनी राय जाहीर की। और उसके बाद बार-बार भारत सरकार ने भी अपनी राय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही दी है।

५. प्रश्न है कि विनोवाजी ने इसी समय गोवध-बंदी का प्रश्न क्यों उठाया ? सरकार को इसी समय निर्णय लेने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है ? इसके उत्तर में विनोवाजी ने स्वयं कहा है कि उनकी माताजी का यह शताब्दी वर्ष है । माताजी पूछती हैं कि गाय की कत्ल कब तक सहोगे ? माता का दूध छूटने के बाद उनका पोषण गाय के दूध पर ही हुआ है । अब उनका पदार्पण ८२ वें साल में हो रहा है । वे समझते हैं कि अब वे ज्यादा ह दिन नहीं जियेंगे । अतः अपने सामने ही वे गाय की रक्षा करना चाहते हैं । जब जगद्गुरु शंकराचार्यजी ने गोवधबंदी के लिए उपवास शुरू किया था तब भी विनोवाजी ने शंकराचार्यजी को विनंति की थी कि इस प्रश्न पर समग्र विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमिटी कायम करना स्वीकार किया है, अतः आप अपना अनशन छोड़ दीजिए । इस पर शंकराचार्यजी ने अपना उपवास छोड़ा था । नौ वर्ष हो गये, अभी तक इस कमिटी की रिपोर्ट ही नहीं आयी है । इसलिए विनोवाजी चाहते हैं कि अब सरकार को स्वयं इस प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए, इसमें टालमटोल नहीं होनी चाहिए ।

६. कानून बन जाने के बाद गाय की पूरी रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि गांवों के आसपास ही उसके पालन की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी । हर एक दस गांवों के समूह में ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां चरागाह है और पानी की सुविधा है । वहां उस क्षेत्र की बेकार गायें रखने की व्यवस्था करनी होगी । उसके साथ एक मृत पशु निकास केंद्र (चर्मालय) भी खोलना होगा, जिससे जो गायें कुदरती तौर पर मरती हैं उनका चमड़ा, हड्डी, सींग, दांत, इत्यादि मृत जानवर से जो प्राप्त हो सकते हैं उन सब पदार्थों का उपयोग करना होगा । इसके लिए गांव के लोगों का और गो-प्रेमी महाजनों का सहयोग लेना पड़ेगा । साथ ही हर एक गांव में, नसलसुधार, पर्याप्त

चारा, दुग्धोत्पादन तथा अच्छे जानवर तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। जाहिर है कि इसके लिए गांव की जमीन, गांव के पशु और उनके मालिक इनका पूरा-पूरा सहयोग लेना पड़ेगा। गांव-गांव में अच्छे सांड रखने पड़ेंगे। स्क्रववुल्स (घटिया सांड) को खस्सी करना होगा। इस प्रकार गांवों के विकास के लिए योजना बनानी पड़ेगी। अभी तक हम गांवों की योजना की सिर्फ बात ही कर रहे हैं। अब उसको कार्यान्वित किये बिना गोरक्षा नहीं हो सकेगी। इसके लिए पूरे जनजागरण की जरूरत है।

७. विनोबाजी के इस संकल्प के पीछे ये सारी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। जनता को अपने कर्तव्य के बारे में जागृत करने की जरूरत है। गोरक्षा की मांग को देशव्यापी समर्थन तो प्राप्त है ही। इस समर्थन के निदर्शन की अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि जनता गोरक्षा का कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाने के बारे में अपनी जिम्मेवारियां समझे। इस प्रचार का स्वरूप रचनात्मक ही हो सकता है, आंदोलनात्मक नहीं। राजनीति या सांप्रदायिकता का रंग इस प्रचार को नहीं आना चाहिए, इसके लिए खास सावधानी रखनी होगी। इस मर्यादा के अंदर सब लोगों का सहयोग प्राप्त करना जरूरी है। अल्प संख्यकों का और भिन्न धर्मियों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। गांव के लोगों को अपने कर्तव्य का ख्याल आये, ऐसा प्रचार का स्वरूप हो। यह सोचा गया है कि विनोबाजी के संकल्प के निमित्त दिनांक ११ अगस्त की शाम ६ बजे सर्वत्र प्रार्थना-सभाएं हों। उन में गोवध-बंदी व गोसंवर्धन की जानकारी दें। उस दिन जितने ज्यादा लोग उपवास रख सकें, रखें। १२ अगस्त से ११ सितंबर तक भारत के हर एक प्रखंड में एक माह की पदयात्राओं का आयोजन किया जाये। पदयात्राओं में शामिल होनेवाले बारी-वारी से शामिल हो सकते हैं। किंतु पदयात्रा लगातार एक माह तक चले।

पावन कदम

पू० विनोबाजी ने जो संकल्प किया है वह सबके सामने है । संकल्प स्पष्ट है कि ता० ११ सितंबर १९७६ तक सारे भारत में संपूर्ण गोवध-बंदी का निश्चय नहीं होता है तो पू० बाबा का आमरण अनशन प्रारंभ होगा । पू० बाबा का जो स्वास्थ्य है उसे देखते हुए जो भी कोशिश करनी हो वह उपवास आरंभ होने से पूर्व ही होनी चाहिये । उपवास में उनका शरीर तीन दिन भी टिकेगा या नहीं यह कहना कठिन है ।

गोवध-बंदी का सारे भारत के लिए निश्चय करना याने कानून बनाना यह भारत सरकार का काम है । हमारा कर्तव्य होता है कि भारत सरकार को यह कदम उठाने के लिए हम प्रार्थना करें । हमारे किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता मानी जाय तो वह सहयोग दें ।

जहां तक गोवध-बंदी के संबंध में भारत के आम लोकमत का सवाल है वह पू० विनोबाजी के साथ है । भारत में संपूर्ण गोवध-बंदी हो यह भारतीय संस्कृति की मांग है । यह भारतीय आत्मा की आवाज है । इस वारे में अनेक बार लोकमत आजमाया जा चुका है । संपूर्ण गोवध-बंदी की मांग किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ भी नहीं है । सब धर्मों का समान आदर करनेवाले देश का कर्तव्य हो जाता है कि वह भारतीय संस्कृति की भी रक्षा करे ।

आज देश के सामने अनेक अहम मसले खड़े हैं ऐसी स्थिति में पू० विनोबाजी जैसे राष्ट्र पुरुष को गोवध-बंदी जैसा मसला क्यों सूझा ?

पदयात्राओं में विनोबाजी का संकल्प और उसकी पूर्ति के लिए सरकार तथा जनता का कर्तव्य पूरी तरह समझाया जाये । गांव की पुनर्रचना में, गो-संवर्धन में और भारतीय जनतंत्र में इस संकल्प द्वारा तब्दिली की क्या संभावनाएं हैं, इस पर लोगों का खास ध्यान खींचा जाना चाहिए ।

गहराई से विचार करने पर दीखेगा कि महापुरुषों का आमरण उपवास जैसा निश्चय बुद्धिवाद से नहीं होता बल्कि उनके आत्मा की स्वयं प्रेरणा से होता है याने भगवत् आदेश से होता है । पू. विनोबाजी का विचार करें तो पू. बापूजी की तरह उनका उपवास पर खास विश्वास कभी नहीं रहा । पिछली बार भाषा-समस्या के समय जो उपवास किया था वह भी अंतर की मजबूरी से किया था ऐसा उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि पू. विनोबाजी का यह उपवास उनकी अंतःप्रेरणा का परिणाम है । यह भगवद् आदेश है जिसे उन्होंने स्वीकार किया है ।

भारत में संपूर्ण गोवध-बंदी कानून बने इस बारे में स्वराज्य के पहले और बाद में अनेक बार पू. विनोबाजी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं । भारत सरकार से भी अनेक बार कह चुके हैं । श्रीमती इंदिराजी से भी एक नहीं अनेक बार गोवध-बंदी कानून सारे भारत में किये जाने वाबत बातचीत की होगी और अंत में वाणी की शक्ति समाप्त होने पर ही उपवास का निश्चय हुआ होगा । पू. विनोबाजी जैसे सत्पुरुष के लिए गोवध-बंदी जैसे धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रश्न के हल के लिए प्राणों की बाजी लगाना सर्वथैव उचित माना जायेगा ।

पू० बापूजी का लक्ष्य था राजनैतिक स्वतंत्रता दिलाना । पू० विनोबाजी का लक्ष्य है देश को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कराना । भूदान के जरिये कृषि की एवं गोवध-बंदी के जरिये गोपालन की समस्या हमारे सामने आयी है । पू० विनोबाजी का देश के लिए यही आदेश है कि कृषि-गोपालन को मजबूत करो ! कृषि-गोपालन के माध्यम से जो आर्थिक-विकास हो सकेगा वही भारत के लिए स्थायी विकास होगा ।

आज भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का जितना आक्रमण हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ था । अंग्रेजों के जमाने में भी जो आघात नहीं हुए वे आज हो रहे हैं । पोशाक, रहन-सहन, आचार-विचार, इतिहास-पुराण, आदर्श हर बात में पाश्चात्यों की

नकल चली है। हर बात में हम अपने को हीन समझने लगे हैं, यहां तक कि हमें अपनी भाषा भी हीन लगती है। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय देन गाय को अपने परिवार में शामिल करने की बात को आगे लाना भारी साहस का काम है।

गो माता के मनुष्य समाज पर अनंत उपकार हैं इसे कोई अमान्य नहीं करेगा। लेकिन उपकार करने वाले पशु के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना यह मानवता है। और अपने स्वार्थ के लिए हरेक का शोषण करते ही रहना यह पशुता है। सद्-असद् वृत्ति की यह लड़ाई मानव जीवन में चलती ही आयी है। सद् वृत्तियों के विकास से ही मानव विकास संभव है। वरना तो स्वार्थ वृत्ति मनुष्य-मनुष्य को खाने लगे यहां तक बढ़ सकती है। गाय अवध्य रहती है तो मनुष्य भी सुरक्षित है।

पू. विनोबाजी कोई राजनैतिक पुरुष नहीं हैं, संत हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं। मजबूरी से राजनीति के जंगल होकर जितना रास्ता जाता है उतना काटते हैं। फिर भी उनकी वृत्ति का असर समग्र जीवन पर होता है। गोवध-बंदी सफल रही तो उसका असर राष्ट्र के सारे जीवन पर पड़े बिना नहीं रहेगा। नमक सत्याग्रह से स्वराज्य प्राप्ति हो सकती है तो गोवध-बंदी से राष्ट्र को आर्थिक स्वराज्य की प्राप्ति अवश्य हो सकेगी।

पू. विनोबाजी की इसमें बहुत दीर्घ दृष्टि है ऐसा लगता है। उनका यह कदम अहिंसा की परिसीमा है। रोगी को मिटाये बिना रोग हटाने का परम अहिंसक तरीका है। ज्यों ज्यों विचार करता हूं लगता है पू. विनोबाजी का यह कदम अत्यंत पवित्र, दीर्घ दृष्टियुक्त एवं टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है। राष्ट्र को आज के संकट से भी यह राहत दिलावेगा।

जयपुर }
१।६।७६ }

राधाकृष्ण बजाज

कृतघ्नता की पराकाष्ठा

(जयन्तीलाल मानकर)

जिस प्रकार मजदूरों को रोजी, पेन्शन सुविधायें और निर्वाह के साधन कानून से दिये जाते हैं, उसी प्रकार की सुविधा जिस गोवंश को मानव ने अपने लिए पालन किया और उसका लाभ उठाया है, उसे देनी चाहिए। गाय की कमजोर स्थिति में उसका पालन कराने पर सरकार कानून बनाकर मजबूर करे उसके बदले कानून से सरकार गोवध-बंद करे तो उसमें जरा भी दोष नहीं है बल्कि सरकार का यह कर्तव्य ही है। और गाय के पालन की व्यवस्था करना गोपालकों का कर्तव्य है।

पूज्य विनोबाजी भावे भारत के परं हितैषी, तपस्वी, चिंतक और साधक संत हैं। वे राजनीति, या सांप्रदायिकता से परे हैं। सर्वधर्म समादर की राजनीति के वे समर्थक हैं। सांस्कृतिक न्यायनीति और संविधान की दृष्टि से गौ के प्रति होनेवाले अन्याय के सामने उनकी आत्मा ने पुकार की है। दिव्य प्रेरणा से उन्होंने संकल्प किया है कि भारतीय विधान की धारा ४८ के एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ११ सितंबर १९७६ तक यदि भारत सरकार देशभर में कानून के द्वारा गोहत्या-बंदी का निश्चय जाहिर नहीं करेगी तो वे ११ सितंबर से आमरण अनशन करेंगे। पूज्य विनोबाजी भावे गोवध-बंदी कानून होने के बाद भी गोरक्षा चाहते हैं। जहां तक कानून का संबंध है, प्रादेशिक सरकारों ने संविधान की ४८ धारा का स्वीकार करके १४ राज्यों में कानून से गोहत्या पर रोक लगायी है। शेष राज्यों में कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने के बारे में सरकार विचार करेगी, क्योंकि भारतीय संविधान का यह आदेश है, जिसका पालन अनिवार्य

है, सिवाय यह जनता की मांग है, और अब तो एक आध्यात्मिक महापुरुष के आत्मा की आवाज है ।

कायदा होने के बाद गोरक्षा की जिम्मेवारी जनता की है । जो लोग दूध, घी या डेअरी उद्योग, खेती या बैलों के लिए गाय का पालन संवर्धन करते हैं, उनका यह फर्ज है कि वृद्धावस्था में उसके पालन की पूरी व्यवस्था करें ।

गो-संवर्धन द्वारा अनेक प्रकार के लाभ उठाकर, सूखने के बाद बेकार होने पर गाय को कतलखाने भेजना यह कृतघ्नता की पराकाष्ठा है । कुत्ते को एक दिन भी रोटी का टुकड़ा डाले तो वह उपकृत बुद्धि से उपकार करनेवाले के प्रति स्नेह और वफादारी रखता है और उसकी रक्षा करता है । हम मनुष्य गायों के द्वारा लाभ प्राप्त करके फिर उसे भूखें मारें या कतलखाने में भेजें यह पाशवी वृत्ति है ।

जून 'श्री जीवदया' से साभार
(संकलित)

मुझे आशा है सरकार स्वीकार करेगी

बाबा ने गोवध-बन्दी के लिए आमरण उपवास करने का जो संकल्प जाहिर किया है, उससे मैं बहुत चिंतित हूँ । मेरा ख्याल है, बाबा की इस मांग को भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन प्राप्त है । इसलिये भारत सरकार को यह मांग स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी और बाबा को इस कठोर तपस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा । मुझे भरोसा है कि संघ के साथी इस प्रश्न पर देश की जनता को जाग्रत करने में जुट जायेंगे ।

बम्बई:

— जयप्रकाश नारायण

७ जून ७६ के पत्र से

सर्व सेवा संघ प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव

तारीख १७ और १८ जनवरी ६७ को मधुबनी (विहार) में हुई सर्व सेवा संघ प्रबन्ध समिति की बैठक में पुरी के श्री जगद्गुरु के अनशन के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्ताव :

भारत में संपूर्ण गोवंश-हत्या की बन्दी जारी की जाय, इस प्रश्न को लेकर सर्वत्र जोर की आवाज उठी है। जगन्नाथपुरी के श्रीमत् जगद्गुरु शंकराचार्य और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने इस प्रश्न को लेकर पिछले ५८ दिनों से अनशन जारी रखा है।

भारत-सरकार ने लोकसभा में जो आश्वासन दिया, उतना पर्याप्त नहीं माना गया। सरकार ने इस प्रश्न का सांगोपांग विचार करने के लिए उत्तराधिकार समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है और जगद्गुरु को तथा ब्रह्मचारीजी को अनशन समाप्त करने की विनंति की है।

भारत में गोवंश की हत्या न हो, यह भावना भारतीय संस्कृति के आधार पर स्थित है। भारत ने मानवेतर प्राणियों में से विचार-पूर्वक गाय को अपने परिवार में स्थान दिया है। इसलिए यह मानवीय संस्कृति का अगला कदम है।

इस संबंध में श्री विनोवाजी ने हनुमान प्रसादजी पोद्दार को लिखे पत्र में, श्री जयप्रकाश नारायण ने श्रीमत् जगद्गुरु को लिखे पत्र में और श्री दादा धर्माधिकारी ने प्रधान मंत्री श्री इन्दिरा गांधी को लिखे पत्र में सम्पूर्ण गोवध-बन्दी की पुष्टि में जो विचार और भावना व्यक्त की है, उसके साथ प्रबन्ध-समिति पूर्णरूप से सहमत है।

गोवंश में बैल किसानों के लिए सबसे अधिक उपयोगी जानवर

होने के कारण उसकी उपेक्षा या अवहेलना अपेक्षाकृत कम होती है । इसलिए बैल को वृद्धावस्था में खिलाना आर्थिक दृष्टि से अधिक भार रूप नहीं है । गाय को वृद्धावस्था में खिलाने का संकल्प तो भारत के संविधान में निहित ही है ।

इसलिए सर्व सेवा संघ सरकार से विनंती करता है कि उसे भारत में गोवंश-हत्या की सम्पूर्ण बन्दी को बिना किसी हिचकिचाहट के तत्त्वतः मान्य कर लेना चाहिए और भारतीय लोकमत का जो स्पष्ट दर्शन हुआ है, उसका आदर करना चाहिए ।

सर्व सेवा संघ श्रीमत् जगद्गुरु और श्री ब्रह्मचारीजी से भी निवेदन करता है कि गोवध-बन्दी के लिए उन्होंने अनशन करके भारत में अनुकूल वातावरण निर्माण किया है । देश में इस प्रश्न के प्रति जो भावना व्यक्त हुई है, उसे देखते हुए अब वे अपना अनशन अविलम्ब छोड़ने की कृपा करें ।

श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार को विनोबा के दो पत्र

विनोबा निवास
मधुबनी (बिहार)

२८-१२-६६

श्री हनुमान प्रसादजी,

श्री शिवनाथ दुबे द्वारा आप का पत्र मिला । भारत में गो-वंश की पूरी रक्षा हो इस उद्देश्य से श्री. शंकराचार्यजी और श्री. प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी जो महाव्रत कर रहे हैं उससे मैं बहुत चिंतित हूँ । उनके उस पवित्र उद्देश्य से मेरी पूर्ण सहानुभूति है ।

“मृत्यु जब होनी होती है, तभी होती है। खाता-पीता आदमी भी मर जाता है। ये लोग पवित्र उद्देश्य से मरने जा रहे हैं; अतएव मुझे उनके मरने की चिंता नहीं है। मुझे दुःख सरकार के रवैये पर है। मेरा प्रार्थना में विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ। देखें भगवान् उन लोगों (सरकार) को कैसी बुद्धि देते हैं।”

विनोबा का जयजगत्

३०-१२-६६

श्री जगद्गुरु शंकराचार्य को

जयप्रकाश नारायण का पत्र

पटना

१८ दिसंबर, १९६६

वन्दनीय महाराज,

सेवा में एक तार भेजा था। उसके बाद दिल्ली में चव्हाण साहब से बातें हुई थीं। फिर, आज टेलीफोन पर भी उनसे बातें हुई। मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि चव्हाण साहब द्वारा लोकसभा में दिया गया वक्तव्य आपको तथा गोरक्षा समिति की मांग को पूरा नहीं करता, तथापि आप तथा अन्य साधुओं के तप का प्रभाव शासन पर पडा है। अभी चव्हाण साहब से जो बातें हुई, उससे मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए उन्हें समय चाहिए। भारत के संविधान में कई निर्देशात्मक सिद्धांत दिये गये हैं, जिनमें से चव्हाण साहब का कहना था और यह सत्य भी है कि गोवध बंद करने के निर्देश पर काफी कार्यवाही हो चुकी है। जो वाकी है, वह नहीं करने का तो उनका निर्णय नहीं है बल्कि वे तो समय चाहते हैं कि इस पर राज्य-सरकारों तथा अन्य लोगों से परामर्श हो सके। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप इस शर्त पर राज्य को

छह महीने का और समय कृपया दें, ताकि उन्हें इस विषय में अंतिम निर्णय ले लेना आसान होगा। यदि वह निर्णय संतोषकारी नहीं होगा तो आप तथा गोरक्षा-समिति के अन्य नेता उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

एक और निवेदन है कि यदि इस वार मौका देते हैं, तो फिर मेरी जो व्यक्तिगत शक्ति है, वह इस उद्देश्य की पूर्ति में पूरी-पूरी लगेगी।

अन्तिम निवेदन यह है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में आप जैसे धर्मगुरु का जीवन-बलिदान एक महान् विस्फोट का कारण बन सकता है, जो वांछनीय नहीं होगा। यद्यपि उस विस्फोट के निर्माण के लिए आपको कोई उत्तरदायी तो नहीं बना सकता, फिर भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, यह सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

मैं श्री मनमोहन चौधरी, अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ का आभारी हूँ, जो यह पत्र लेकर आपकी सेवा में जा रहे हैं।

सादर

जयप्रकाश नारायण

ब्रह्मविद्या-मंदिर में ता. १८-७-७६ को आश्रमवासियों के साथ हुई बातचीत के समय, “बाबा के गोवध-बंदी के लिए आमरण उपवास करने के संकल्प के बारे में आपकी क्या राय है?” ऐसा एक सवाल जे. पी. से पूछा गया, उस पर उन्होंने कहा —

“मैं कोई धार्मिक व्यवित नहीं हूँ। सामाजिक कार्य करनेवालों में आता हूँ। परंतु मैंने बहुत सोचा, अपने दिल को टटोला और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मैं इस विषय का सोलह आने समर्थन करता हूँ। मुझसे जो लोग मिले उनसे भी मैंने यही बात कही कि आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए।”

सुप्रीमकोर्ट का फैसला

२३.११.१९६०

(भारत के संविधान की धारा ३२ के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों के संबंध में जो पिटिशन्स बिहार, उत्तरप्रदेश और सी० पी० वेरार (मध्यप्रदेश) के गोहत्या-बंदी कानून के खिलाफ पेश किये गये थे, उनपर फैसला)

प्रारंभिक इतिहास

उक्त तीनों प्रदेशों के कानून में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध है। सी० पी० के कानून में तो दूध देनेवाली भैंसों की हत्या पर भी प्रतिबंध है।

सन् १९५८ में इन कानूनों को कसाइयों की ओर से चैलेंज किया गया था कि उनके धंधे पर यह प्रहार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भैंसें दूध देना बंद करें तब हत्या की बंदी अवैध होगी। लेकिन गोवंश के संबंध में सभी कानून वैध है।

कसाइयों ने अन्य देशों के उदाहरण देकर विशेषज्ञों की राय पेश की थी कि १५ साल की उम्र के बाद गाय-भैंस बेकाम हो जाती हैं और सांड १२-१३ वर्ष की उम्र के बाद बेकाम हो जाते हैं।

कानून से बिहार में दुधारु जानवरों की हत्या बंदी की उम्र २५, उत्तरप्रदेश में २० और मध्यप्रदेश में २० साल थी।

कैटल प्रिजर्वेशन ऐंड डेव्हलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि १४ वर्ष की आयु के बाद सांड या गाय-भैंस काम के लायक नहीं रहता, इसलिए इस उम्र से ऊपर के जानवरों की कतल करने में रुकावट न रहे।

मार्केटिंग ऑफ कैटल इन इण्डिया के विषय पर खाद्य और कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में निम्न बातें लिखी हैं :

४ वर्ष तक की उम्र के जानवरों का मांस कच्चा होता है और दाम कम आते हैं ।

४ से ८ वर्ष की उम्र के जानवर सब से अधिक स्वस्थ होते हैं और उनके मांस का दाम अधिक आता है ।

८ वर्ष की उम्र के बाद जानवरों की शारीरिक हालत गिरने लगती है, इसलिए उनके मांस के दाम कम आते हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी विशेषज्ञों की रिपोर्टों को देखकर राय दी कि १५ वर्ष की आयु के बाद सांड, गाय या भैंस दूध के, ब्रीडिंग के, या खेत के काम में नहीं आते हैं, इसलिए बिहार के कानून को २५ वर्ष की आयु अवैध ठहराया जाती है । (यानी १५ वर्ष तक की आयु के जानवरों की कतल की बंदी वैध है ।)

कतल के लिए व्हेटरीनरी अधिकारी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेअरमेन या चीफ आफिसर, दोनों के संयुक्त सर्टिफिकेट के बदले केवल व्हेटरीनरी अधिकारी का सर्टिफिकेट पर्याप्त है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की राय है ।

उत्तरप्रदेश के कानून में कहा गया है कि व्हेटरीनरी अधिकारी के सर्टिफिकेट के बाद भी २० दिन के पहले जानवर की कतल न हो । इस अवधि में यदि किसी की आपत्ति नहीं आयी, तो अमल किया जाय । सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर इस तरह की मीयाद का बंधन सुप्रीम कोर्ट को अवैध लगता है, क्योंकि इस तरह कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेट के खिलाफ अपील कर के कतल की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है ।

१ जाफर इमाम	जज
२ एस० के० दास	”
३ जे० एल० कपूर	”
४ ए० के० सरकार	”
५ के० सुब्वाराव	”

गोवध कानूनन् बंद किया जाय

विनोबा

आज मैं एक दुःख की बात प्रकट करनेवाला हूँ, वह समूचे भारत के लिए है, फिर भी कलकत्ता के लिए विशेष हैं। आप समझते हैं कि कलकत्ता में दूध की 'सप्लाई' एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां तीस-चालीस लाख लोग रहते हैं। उनको अच्छा दूध 'सप्लाई' करना बड़ी योजना का विषय है। लेकिन उस तरफ मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्वाले यह काम करते हैं। वे पंजाब से अच्छी-से-अच्छी गायें लाते हैं और उन से जब तक दूध मिलता है, तब तक उनकी देखभाल करते हैं। उसके बाद उनको कटाने के लिए भेज देते हैं और नयी गायें लाते हैं। अच्छी-से-अच्छी गायों का संहार कलकत्ता के नाम पर किया जाता है।

गायों पर और भी अत्याचार होते हैं। उनका उल्लेख महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में किया है।

गाय-बैल की अनिवार्यता

वास्तव में भारत भर में गाय और बैलों की अत्यंत आवश्यकता है। देश को जो थोड़ा अच्छा प्रोटीन मिलता है, वह गाय के दूध से ही मिलता है। दूसरा उत्तम जरिया नहीं है। जो थोड़े लोग मांसाहार करते हैं, उनकी बात अलग है। बहुत ज्यादा लोग मांसाहार करते नहीं, अतः उनको अच्छा दुग्धाहार लेना जरूरी है। इसके अलावा तरकारी, फल, अनाज, इन चीजों की आवश्यकता है। हिंदुस्थान में दिन-ब-दिन जमीन कम पडनेवाली है और उस हालत में मांसाहार निःसंशय बढनेवाला नहीं। मानव-संस्कृति में उसके लिए आदर नहीं

है। बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई जमीन के जमाने में गाय की रक्षा अनिवार्य हो जाती है।

खेती के लिए बैल और उनका खाद भारत के लिए अमृत-समान है। जो ट्रैक्टर आदि की बातें करते हैं, उनमें हम खास सार नहीं देखते। भारत में जमीन की काश्त के लिए ट्रैक्टर नहीं चल सकता। जहां जमीन कम है वहां ट्रैक्टर चलेगा तो कैसे होगा? ट्रैक्टर घास खाता नहीं और खाद देता नहीं। बैल घास खाता है और खाद देता है। इसलिए भारत जब तक बैलों को खाने का तय नहीं करता — जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाता है, और जब तक ट्रैक्टर घास खाना शुरू नहीं करता और खाद देना शुरू नहीं करता एवं जब तक कूड़ायाल वगैरह बाहर से आता है, तब तक भारत में ट्रैक्टरों की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका की बात अलग है। वहां हर मनुष्य के पीछे १३-१४ एकड़ जमीन है; यहां मनुष्य के पीछे ३ एकड़ जमीन है, बंगाल में तो मुश्किल से आधा एकड़ होगी। इसलिए इस देश में ट्रैक्टर का प्रवेश नहीं हो सकता। यहां बैल और गाय अनिवार्य हैं। उनकी खूब रक्षा होनी चाहिए, कानून से गोवध-बंदी होनी चाहिए।

गाय और बैल, दोनों की रक्षा के लिए व्यापारी, सरकार और समाज, तीनों की ओर से सहायता की आवश्यकता है।

गोवध-बंदी और 'सेक्युलर स्टेट'

कुछ लोगों का खयाल है कि 'सेक्युलर स्टेट' में ऐसा कानून नहीं बन सकता। "यह कानून बनने पर गाय और बैल की हत्या करनेवाले मुसलमान वहां कैसे रह सकेंगे?" ऐसा बोलनेवाले इस्लाम का अपमान करते हैं। मैं इस्लाम की ओर से दावे के साथ कहता हूं कि इसकी मुखालफत कोई मुसलमान नहीं कर सकता।

कुरान में गाय का गोشت जरूरी हो, ऐसी विधि नहीं है और हिंदुओं में वलिदान की आवश्यकता है, ऐसा धार्मिक कार्य नहीं है।

वह गलत कार्य है, फिर चाहे वह करनेवाला हिंदू हो, चाहे मुसलमान — यह मेरा अभिप्राय है ।

बलिदान के लिए गाय अनिवार्य नहीं है । इतिहास यह कहता है कि अकबर के राज्य में गोवध-बंदी थी । इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि गोवध-बंदी में 'सेक्युलरिज्म' का विरोध नहीं आता और इसके लिए कानून बनाना चाहिए । यह भारतीय समाजवाद की मांग है ।

समाजवाद का दावा है कि समाज के हर मनुष्य का पूरा रक्षण होना चाहिए । भारत का भी एक अपना समाजवाद है । भारत के समाजवाद में यह माना गया है कि मानव-वंश के अंदर गोवंश का समावेश करें और जिस गाय के दूध पर हमारे बच्चे पलते हैं, उसे कृतज्ञता के तौर पर रक्षा दें, उसकी सहज मौत आने दें । मृत्यु के बाद उसकी चमड़ी का अच्छा उपयोग किया जाय और ख़ाद का अच्छा उपयोग किया जाय और उसका मूल्य जरूर हासिल करें । गायों का दूध बढ़ाया जाय, नसल सुधारी जाय, लेकिन उनको रक्षण मिले । हम यह नहीं कहते कि गाय में ज्यादा आत्म-तत्त्व है । वह तो सब प्राणियों में समान है, लेकिन यह प्राणी ऐसा है कि भारतीय जीवन का उस पर आधार है ।

भारत में प्रति व्यक्ति दूध

बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए दूध आवश्यक है । भारत में प्रति-व्यक्ति ३ औंस दूध है । इसमें गाय, भैंस और बकरी तक का दूध शामिल है । किसी ने मुझसे कहा कि ऊंटनी का दूध भी इसमें आता है । तो, कुल जितने दूध की गिनती होगी, उतना मिलाकर प्रति व्यक्ति ३ औंस दूध है । जिस समाज को रोज गोश्त नहीं मिल सकता, उसको कम से कम प्रति व्यक्ति एक पौंड दूध मिलना चाहिए । उसके बदले में

३ औंस मिलता है; ३ औंस याने ७॥ तोला । उसमें दूध दिया जायेगा तीन “ब” वालों को—बूढ़ों, बच्चों और बीमारों को । उनके साथ चौथा एक है, वह भी “ब” है, वछडा — उसको भी दूध चाहिए तो ये चार “ब” दूध पर आधार रखते हैं ।

दूध कम हुआ

इंग्लैंड ऐसा देश है, जहां एक व्यक्ति के पीछे दो पौंड दूध मिल सकता है । भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलीं, लेकिन मुझे किसी ने भी जानकारी नहीं दी कि प्रतिव्यक्ति भारत में एक बूंद दूध बढ़ा है । जब भारत और पाकिस्तान मिलकर एक देश था, तब प्रतिव्यक्ति चार औंस दूध था । वही मुख्य भाग है जहां दूध ज्यादा होता है । वह तो अब चला गया, तो दूध भी कम हुआ । यह मेरा अपना विचार है । बंगाल में मुश्किल से दो औंस दूध है । असम में भी यही हालत है । बंगाल से असम की हालत और भी खराब है ।

गोवध रोकें और गो-विज्ञान सीखें

मैंने कहा कि सरकार को कानून बनाना चाहिए और पंजाब से गायों का यहां आना तुरंत बंद करना चाहिए । साथ ही लोगों को विज्ञान सीखना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से गाय की उपासना करनी चाहिए । यह बहुत गंभीर विषय है । भारत के लिए जीवन-मरण का सवाल है ।

भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपदेश गीता में है । लेकिन हिंदुस्तान के लोग गीता के कृष्ण को उतना नहीं जानते, जितना कि ‘गोपाल कृष्ण’ को जानते हैं । यहां गाय के साथ-साथ कृष्ण की उपासना होती है । उसका ध्यान हमें करना चाहिए । मनुष्य, गाय और श्रीकृष्ण का संबंध यहां आता है । गुरुदेव ने इस प्रेम के गाने गाये हैं ।

एक बार एंड्रुज के साथ हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान् ईसा मसीह भी एक गोशाला में जन्मे थे, इसलिए ईसाई लोग यह भावना समझ सकते हैं।

मानवता विकसित करने की प्रक्रिया

एक ईसाई भाई के साथ हमारी बातें हो रही थीं। उन्होंने कहा 'गाय में आत्मा है, यह हमारी समझ में नहीं आता।' मैंने कहा कि 'गॉड इज लव', यह आप मानते हैं? उन्होंने कहा - 'जी हां।'

मैंने कहा - 'जिन जानवरों को आपने पाला-पोसा, वे प्रेम का स्पर्श समझ सकते हैं कि नहीं और उनके प्रेम का स्पर्श आपको होता है या नहीं?'

उन्होंने कहा, - 'कैसे नहीं होता? जलूर होता है।' तो मैंने कहा - फिर आप कैसे नहीं पहचानते कि उनमें भगवान् की मूर्ति है? यही वह ताकत है, जिसे प्रेम का अनुभव होता है।

हिंदुस्तान के लोग गाय को दया से देखते हैं। प्रेम भी प्रकट होता है। प्रेम के लिए एक जानवर पाला, तो कुटुंब में उससे कुछ लाभ पहुंचता है और वह परिवार का एक अंग बन जाता है। हम उसका पालन करते हैं, वह हमारा पालन करता है। एक दूसरे का पालन करते हैं और मानवता को विकसित करते हैं।



गोरक्षा एक सांस्कृतिक मांग

गाय और बैल में फर्क क्यों ?

-विनोबा

मैं मानता हूँ कि भारतीय सभ्यता की यह मांग है कि हिंदुस्थान में गोरक्षा होनी ही चाहिए । अगर हिंदुस्थान में हम गोरक्षा नहीं कर सकें, तो आजादी के कोई मानी ही नहीं होते । अगर गोरक्षा नहीं होती है, तो हमने अपनी आजादी खोयी और उसकी सुगंध गवांयी, ऐसा कहना होगा ।

हिंदुस्थान में आज 'सेक्यूलर स्टेट' की बात चली है। यह अच्छी बात है, गलत नहीं है । अपनी सभ्यता में ही यह बात है कि जो राज्य चलेगा, वह सब धर्मों की समान रक्षा करेगा, पक्षपात नहीं करेगा । अशोक के जमाने में भी वह खुद बौद्ध था, परंतु प्रजा तीन धर्मों में — हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में बंटी हुई थी । लेकिन तीनों की समान इज्जत होती थी और तीनों की समान रक्षा होती थी । इसलिए हम अशोक का इतना आदर करते हैं और हमने उसी का चिह्न अपने राज्य के लिए ले लिया है । 'सेक्यूलर स्टेट' होना तो अच्छा ही है । उसका गोरक्षा के साथ कोई विरोध नहीं है । अगर ऐसा होता कि आज हिंदुस्थान में जितने धर्म हैं, उनमें से एक धर्म कहता कि गाय को मारना पाप है और दूसरा धर्म कहता कि गाय का कत्ल करना पुण्य है, तो सरकार कहती कि इस तरह दो धर्मों में विरोध है, तो दोनों को अपने-अपने मत के अनुसार चलने की इजाजत होनी चाहिए । इसलिए सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती । परंतु आज ऐसी बात नहीं है । मैंने कुरान का और बाइबल का गहराई से और अत्यंत प्रेम के साथ अध्ययन किया है और जिस तरह मैंने वेदों का चिंतन किया है, उसी तरह कुरान और बाइबल का भी किया है । इसलिए मैं मुसल

मान और ईसाइयों की ओर से उनका प्रतिनिधि बन कर कहता हूँ कि उन दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है कि गाय का वलिदान हो । उन धर्मों में वलिदान की बात तो है । वैसे हिंदूधर्म में भी है । परंतु गाय का ही वलिदान होना चाहिए, ऐसी कोई बात उन धर्मों में नहीं है । और इस्लाम की तो यह आज्ञा है कि अपने पड़ोसी की भावनाओं का खयाल करो । इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने 'सेक्यूलर स्टेट' में गोरक्षा होनी चाहिए ।

हमारी सभ्यता का खयाल

गाय और बैल, की जिम्मेवारी उठाना, यह हिंदुस्थान का समाजवाद है । पाश्चात्य देशों के समाजवाद से हमारे देश के लोग एक कदम आगे बढ़े हैं । उनका समाजवाद मानता है कि हर एक मनुष्य की पूरी रक्षा होनी चाहिए । लेकिन भारतीय समाजवाद की मान्यता में गाय को भी अपने परिवार में दाखिल किया गया है । हाँ, उसके अनुसार आज हम वर्तमान ही नहीं करते, सिर्फ गो का आदर रखते हैं । परंतु उसकी सेवा का जैसा कार्य विदेशों में चलता है, वैसा नहीं करते । फिर भी हमारे मन में उसके लिए आदर है । जिस तरह हम अपने घर के बूढ़े लोगों की रक्षा करते हैं, उसी तरह गाय-बैल को भी हमने अपने परिवार में दाखिल किया है । उन दोनों का हम पूरा उपयोग लेंगे, उनका दूध लेंगे उनके गोबर का उपयोग करेंगे, मरने पर उनके चमड़े का उपयोग करेंगे, परंतु उन्हें सहज मृत्यु मरने देंगे । यही बात यहां के समाजवाद ने मानी है । लेकिन उसके साथ हमें वैज्ञानिक बुद्धि रखनी चाहिए । सिर्फ गाय की पूजा करने से काम नहीं होगा । गो-सदन खोलना चाहिए । कमजोर गायों की रक्षा के लिए व्यापारियों और श्रीमान् लोगों को मदद करनी चाहिए । प्रजा को यह त्याग करना चाहिए और उसके साथ-साथ सरकार को भी उपयुक्त कानून बनाना चाहिए ।

मुख्य जरूरत है सेवकों की

विनोबा

गाय को मानव-कुटुंब का हमने हिस्सा माना है, इसके माने ये है कि हमने एक ऐसे समाजवाद की कल्पना की, जिस में गाय और बैल ग्रामीण अर्थशास्त्र के केंद्र बन जाते हैं। इस चीज का भान उन लोगों को नहीं है, जो सिर्फ दुग्धादि के लोभ से गोपालन और गोसंवर्धन की बात करते हैं। खेतों के बैल के खिलाफ यानी उसे बेकार करनेवाला कोई औजार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निकम्मे जानवर पैदा न हों, इस तरह का विज्ञान सीखना चाहिए। गायों को भी उनकी सेहत सुधारने के वास्ते कुछ काम देने की योजना करनी चाहिए। अलावा इसके, उनसे हमको दूध मिलता है। कमजोर जानवरों के लिए गोसदन न सिर्फ सरकार की ओर से, बल्कि महाजनों की ओर से भी खुलने चाहिए। जानवरों के मल-मूत्र, हड्डी, चर्म आदि का पूरा उपयोग लेना चाहिए। श्रीकृष्ण भगवान के समान कार्यकर्ता के हाथ गोबर से लिप्त रहने चाहिए। यह सब करेंगे, तभी गोपालन और गोसंवर्धन हो सकेगा।

गांव में गाय-बैलों के चरने के वास्ते बंजर भूमि छोड़ देते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। बल्कि जितनी भूमि हम तोड़ सकते हैं, तोड़ें और खास किस्म की घास, जो विशेष पोषक हो, पैदा करनी चाहिए। गर्मी में भी कुछ हरी चीज गाय-बैलों को मिल सके, ऐसी योजना होनी चाहिए। इसलिए पानी का जरूरी इंतजाम होना चाहिए।



— विनोबा

हमारी कृति भगवान को समर्पण हो

जमनालालजी के बाद गोसेवा को आगे बढ़ाना है

वि नो वा

अच्छे पुरुष इतिहास भर में हुए हैं। जो पुराने जमाने में हुए हैं, उनके कुछ के तो हम नाम-मात्र जानते हैं। उनमें से कुछ के गुणों का हमें स्मरण है। कार्य तो हम बहुतों का भूल चुके हैं। लेकिन जो नजदीकवाले होते हैं उनके गुणों के साथ-साथ उनके कार्य का भी स्मरण हो जाता है तथा गुण और कार्य जहां एक साथ मन में आते हैं, वहां गुणों का स्वच्छ प्रकाश मिल जाता है। जो लोग हमारे निकट हुए हैं, उनकी योग्यता का कोई नाप हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वे हमारे परिचय के हो गये हैं। जो हमसे दूर हुए, उनकी योग्यता का नाप भी हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वे हमसे दूर हैं। तो नजदीक होना और दूर होना, दोनों भी योग्यता नापने में बाधा डालते हैं। नतीजा यही कि उस तरह का कोई प्रयत्न हमें करना ही नहीं चाहिए। मनुष्य की योग्यता का नाप निकालने की चेष्टा करना ही एक मोह है। वास्तव में जो कुछ कार्य हो रहा है, जो प्रकाश फैल रहा है, वह केवल परमेश्वर का है और उसके अंश जगह-जगह प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार सारा परमेश्वर का ही काम हो रहा है। हमें उससे यही पाठ लेना चाहिए कि अपने हिस्से में जो काम आये वह पूर्ण करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। जमनालालजी जैसे हमारे सुहृदजनों ने अपना शरीर चंदन की तरह खपाया। जो शक्ति उन्हें भगवान ने दी थी उसका उन्होंने स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में उपयोग किया। वैसे ही हमें भी करना चाहिए। हमारी जीवन-ज्योति भी उसी तरह भगवान के मंदिर में जलनी चाहिए। हमारी कृति की सुगंध भी वैसे ही भगवान को समर्पण हो जानी चाहिए। ऐसी कुछ प्रेरणा सुहृदजनों और सज्जनों के स्मरण से होती है।

जमनालालजी के जाने के बाद गोसेवा का काम हम यथाशक्ति करते आये हैं। वह काम शुरू तो उनके रहते ही हो चुका था। अब ऐसा समय आया है कि उस काम में कुछ परिवर्तन किया जाय। अभी तक हमने गायों की सेवा एक विशेष ढंग से की। स्थानीय नसल को सुधारने में हमारी बुद्धि का हमने उपयोग किया, यह बहुत अच्छा हुआ और उसमें कुछ यश भी भगवान् ने हमें दिया। अब उसके आगे बढ़कर, ग्राम-जीवन कैसे परिपूर्ण बने, जिससे ग्रामों के मनुष्य और गाय-बैल आदि हमारे कुटुंबी, चतुष्पाद - दोनों मिलकर एक-दूसरों का पोषण कर सकें, एक-दूसरे की रक्षा कर सकें, दोनों की मर्यादा दोनों संभाल सकें, यह सब कैसे हो सकता है, हमें कर देखना चाहिए।

परधाम-पवनार

११ फरवरी १९५१



१ गोरक्षा मुझे मनुष्य के सारे विकास-क्रम में सब से अलौकिक चीज मालूम हुई है। गाय का अर्थ इंसान के नीचे की सारी सूक्ष्म दुनिया करता है। इस में गाय के बहाने इस तत्त्व द्वारा मनुष्य को सभी चेतन सृष्टि के साथ आत्मीयता अनुभव कराने का प्रयत्न है।

२ मेरी गहरी-मे-गहरी दो मनोकामनाएं हैं :- एक अस्पृश्यता निवारण और दूसरी गोसेवा। इनकी सिद्धि में ही मुझे मोक्ष दिखायी देता है।

३ जब तक गोवध होता है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का ही वध हो रहा है। मेरे सारे प्रयत्न गोवध रोकने के लिए ही हैं।

— गांधीजी

गोसेवा की नीति

राधाकृष्ण बजाज

सेवा

पूज्य विनोवाजी ने कहा है कि “ गोसेवा-संघ की नीति ‘सेवा’ शब्द में निहित है । गाय एक उदार प्राणी है । वह हमारी सेवा और प्रेम को पहचानती है और हमें अधिक-से-अधिक लाभ देने के लिए तैयार रहती है । इसलिए हमें उसको सेवा करनी है । सेवा में दो बातें गृहीत हैं । एक तो हम बिना उपयोग के किसी की सेवा नहीं कर सकते और दूसरे, सेवा किये बिना हम उपयोग लेंगे, तो वह गुनाह होगा और हमें वह गुनाह हरगिज नही करना है ।”

गाय की मजबूत वछडे देने की शक्ति को बढ़ाना है । वछडी का पूरा उपयोग करना है । गाय की दूध देनेकी शक्ति बढ़ानी है । उनसे जुताई में भी जितनी मदद मिल सके, लेनी हैं । गोबर और गोमूत्र का खाद के रूप में अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना है तथा मरने पर उसके चमडे, हड्डी, मांस, चरबी इत्यादि का पूरा लाभ उठाना है । इसके लिए अधिक-से-अधिक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना है । यह सब बातें पूरा उपयोग लेने में आती हैं । गाय को समय पर उचित मात्रा में चारा-पानी देना, उसके रहने की अच्छी व्यवस्था करना, काम लेने में उस पर ज्यादाती न करना, साफ-साफाई रखना, बीमारी का इलाज करना, उसके सुख-दुःख का पूरा खयाल रखना और बूढी होने पर उसको मरने तक खाना देना, इतनी बातें सेवा में आती हैं ।

उपर की नीति के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि हम गाय का शास्त्रीय संवर्धन करना चाहते हैं और उसका वध कतई बंद करना

चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि गाय अर्थशास्त्र में टिकनी चाहिए और अर्थशास्त्र में टिकेगी, तभी उसका पूरा पालन हो सकेगा। इस दृष्टि से जीवनभर गाय को स्वावलंबी बनाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। शास्त्रीय गोसंवर्धन और संपूर्ण गोवध-बंदी ही हमारी नीति रहेगी। गाय से हमारा मतलब गाय, बैल, बछड़े, बछड़ी अर्थात् पूरे गोवंश से है।

बूढ़े व अनुत्पादक पशु

बूढ़े पशुओं के लिए हमारी नीति है कि दूर जंगलों में गोसदन कायम किये जाय। वहां चारे-पानी की व्यवस्था हो। वहां सांड न रखा जाय, इससे बेकार पशुओं की उत्पत्ति रुक जायगी। वहां चर्मालय रहे, उसमें चमड़ा निकालने की, कमाने की, तथा हाड-मांस, चरबी, सब चीजों का पूरा-पूरा उपयोग करने की व्यवस्था हो। वहां खेती भी हो, ताकि गोबर व गोमूत्र के खाद का पूरा लाभ मिल सके। गोसदन स्वावलंबी तो नहीं चल सकते, लेकिन इस तरह खर्च में काफी कमी की जा सकेगी तथा देहात व शहरों के उपयोगी पशुओं पर इनके चारे का बोझ नहीं पड़ेगा। खर्च कम करने के सारे तरीकों का इस्तेमाल करने से गोसदनों पर जो रकम खर्च होगी, वह भी काफी बड़ी होगी। वह कहां से आये, यह सवाल रहता है। आज बड़े-बड़े शहरों में व्यापारियों ने स्वयंप्रेरणा से व्यापार पर धर्मादा के नाम से गोरक्षण के खर्च के लिए लागें लगा रखी हैं, उन लागों को कानूनी बना दिया जाय। जिन शहरों में ये लागें न हों, वहां भी लगा दी जाय। जहां स्थानीय गोरक्षण-संस्था चलती हो, वहां आधी आमदनी उसे दे दी जाय व आधी गोसदनों के लिए। जहां गोरक्षण संस्था न चलती हो, वहां की पूरी आमदनी गोसदनों के लिए रहे। इस तरीके से स्थायी व्यवस्था हो सकती है। चालू गोरक्षण-संस्थाओं को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी काफी पशु गोसदनों में जायेंगे।

बूढ़े पशुओं का प्रश्न सदा रहेगा और उनका हल भी गोसदन से ही हो सकेगा। बहुत से बूढ़े पशुओं को तो लोग अपने-आप ही पाल लेंगे, क्योंकि वह अधिक दिन नहीं जीते। उन से जन्मभर आमदनी भी मिल गयी होती है। लेकिन जो पशु अभी जवान होने पर भी खाते हैं और उतना उत्पादन नहीं देते, ऐसे अनुत्पादक पशुओं का प्रश्न बड़ा कठिन है। उसको हल करने के लिए संघ ने दो तरीके सोचे हैं :-

(१) बुरे सांडों को वधिया कर के अच्छे सांडों से ही वच्चे लिये जाय, ताकि नयी पीढी में दूध बढे व बैल अच्छे निकलें और वे अनुत्पादक न रहें। जो गायें अच्छे बछड़ों देने के काबिल न हों, उन्हें गोसदन में रखकर उनका प्रजनन बंद किया जाय।

(२) ऐसे कम उत्पादक पशुओं में गायें ही अधिक होती हैं। बैलों से तो काम मिल ही जाता है। ऐसी गायों से जोतने का काम लिया जाय, तो कुछ हद तक समस्या हल हो सकती है। आज मैसूर राज्य में इस तरह गायों से काफी तादाद में खेत जोतने का काम लिया जाता है। बैलों की तरह नाथ डाली जाती है और बैलों की वरावरी में भी जोत देते हैं। लेकिन भारी तथा पानी खींचने आदि के अधिक शक्तिवाले काम नहीं लिये जाते।

इस विषय में अभी सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है कि इसका गाय के दूध-उत्पादन व प्रजोत्पादन पर क्या असर होता है। पूरी तरह से शास्त्रीय संशोधन के बाद ही इसका प्रचार किया जा सकता है।

शहरों में दुधारु पशुओं का हटाना

गोवंश के ह्रास एवं गोवध के कारणों की अधिक खोज करने से पता चला कि पशुओं की दुधारु नसल का विनाश सबसे अधिक बड़े शहरों में हो रहा है।

बड़े-बड़े शहरों में दूध के लिए अच्छी-से-अच्छी गायें ले जायी जाती है और वे दूध बंद होने के बाद कसाई के हाथ बेच दी जाती है। इस तरह से भारत का अच्छे-से-अच्छा गोधन इन शहरों की वलिवेदी पर भस्म हो रहा है। गो-सेवा-संघ ने पूज्य ब्राह्मू राजेंद्रप्रसादजी की अध्यक्षता में इस विषय की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने कलकत्ता और बंबई, दो जगह की जांच की। उसकी रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई है। जांच में यह पाया गया कि बड़े शहरों में गायों की हालत बहुत बुरी रहती है। न उनके निवास के लिए पूरा स्थान होता है, न दिन में घूमने को। बछड़े-बछड़ियों को मार दिया जाता है; क्योंकि उन्हें खिलाने-पिलाने में जितना खर्च होता है, उतनी उनकी कीमत नहीं आती। गायों को धनारने के लिए सांड की कोई सुविधा नहीं है, कृत्रिम उपायों से इतना दूध निकाला जाता है कि गाय जल्दी गरमाती भी नहीं। अक्सर दूध बंद होने के बाद गाय कसाई के हाथ बेच दी जाती है, सूखी गाय को व्याने तक आठ नौ महीने रखने खिलाने में जितना खर्च होता है, उससे कम कीमत में नयी गाय मिल जाती है। इसलिए वहां के ग्वालें पंजाब, सिंध आदि से नयी गायें खरीदते हैं और पुरानी कसाई को बेच देते हैं। इस तरह देश की अच्छी-से-अच्छी दुधारु गायें और उनकी संतानें नष्ट कर दी जाती हैं। देश के बढ़िया गोधन के विनाश का सबसे बड़ा कारण यही है।

इस विनाश को रोकने लिए संघ की यह स्पष्ट राय है कि बड़े शहरों में दुधारु पशुओं का रखना कतई बंद कर देना चाहिए। जिन लोगों के पास बहुत कुछ खुली जमीन हो और जो लोग सूखें पशु पाल सकने में समर्थ हो, ऐसे कुछ लोगों को अपवाद के तौर पर इजाजत दी जा सकती है। शहरवालों को चाहिए कि शहर में पशु रखने के बदले देहातों से दूध शहर में लाने का इन्तजाम कर लें। मोटर आदि

से सौ-पचास मील दूर तक दूध लाया जा सकता है। गाय-भैंस तो वही रहनी चाहिए, जहां पर खेती की जमीन है, चारा-पानी सस्ता है और जहां सूखे जानवर को पालने में आसानी है। ऐसे स्थानों पर गाय रखने से गाय बचेगी, खुली हवा में फिरनेवाली गाय का दूध भी अच्छा मिलेगा, खेती को अच्छी खाद मिलेगी, खेती की उन्नति होगी, अनाज की उपज बढ़ेगी। शहरों के बाहर गाय-भैंसों के चले जाने से शहरवाले गोबर और गोमूत्र की गंदगी से तथा बीमारियों से बच जायेंगे। यह ऐसा तरीका है, जिसमें गाय और शहरवाले, दोनों का लाभ है। दोनों बच जाते हैं।—

खेती-गोपालन अभिन्न

सही बात तो यह है कि खेती और गाय, दोनों की जोड़ी है। दोनों एक-दूसरों से अभिन्न हैं। दोनों एक सिक्के के दो वाजू हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। खेती को गोपालन का जोड़ मिल जाने से खेती के लिए अच्छे बैल पैदा होकर खेती की जुताई अच्छी होती है। गोबर और गो-मूत्र में कचरा मिलाकर बड़ी तादाद में मिश्र खाद बनायी जा सकती है, जिससे खेती की उपज बढ़ती है और उपज-शक्ति कायम रहती है। इन पशुओं के कारण अनाज से बचे हुए बेकार डंठल काम में आ जाते हैं और उनकी कीमत आ जाती है। किसान को बैल और गाय के सहारे से बचत के दिनों में आमदनी के कई काम मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सन् १९४१ से १९४६ तक छह जिलों में केवल खेती और गोपालन के साथ खेती, इन दोनों के प्रयोग किये गये थे। उस वारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोपालन और खेती के नाम से एक पर्चा (नं. १८८) निकाला है। उसमें बताया है कि ५ वर्ष बाद यह सिद्ध हुआ कि गोपालन करनेवाले किसानों की आय कहीं-कहीं साधारण किसानों के मुकाबले तिगुनी से भी अधिक हो गयी। गोपालन के साथ खेती करनेवालों की आय फी

एक ११०-४४ /- पडी है और साधारण खेती की औसत फी एकड
५१-५६ /- पडी है ।

इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि गाय का जोड़ मिलने से खेती की उपज बढ़ती है । कई जगह यह सवाल उठाया जाता है कि हम मनुष्यों को खिलायें या गाय को खिलायें । उपर के प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि यह सवाल ही गलत है । हम गाय को जो कुछ भी खिलाते हैं, वह अपने लिए ही खिलाते हैं । गाय पर मेहरबानी नहीं करते । जितना उसे खिलाते हैं; उसके मुकाबले कई गुना अधिक लाभ हमें मिलता है । जैसे बीज बोने को धूल में अनाज फेंकना नहीं कहा जायगा, वैसे ही गाय को खिलाना भी । जैसे गाय से खेती को लाभ है, वैसे गाय को भी खेती से लाभ है । वह सुखमय जीवन खेत पर ही बिता सकती है । जहां खेती नहीं है, वहां चारा-दाना महंगा होगा । वहां अच्छी-सी गाय का भी आज के अर्थशास्त्र में खडा रहना कठिन होता है । हमने वर्धा के आसपास दो-चार जगहों में, जहां खेती के लिए काफी जमीन थी, लेकिन उपज अच्छी नहीं थी, गौशालाएं खोली और नतीजा यह हुआ कि वहां की जमीनें उपजाऊ बन गयी है । संघ की निश्चित राय है कि खेती और गोपालन एक-दूसरे के पूरक हैं । वे साथ-साथ चलने चाहिए यानी हर किसान के पास गाये होनी चाहिए और हर ग्वाले के पास खेती की जमीन । इसी अनुभव से संघ ने गोपालन के साथ-साथ कृषि का काम भी हाथ में लिया है । और अब गोसेवा संघ का नाम भी 'कृषि-गो-सेवा संघ' कर दिया है । भगवान् श्रीकृष्ण ने भी गीता में कृषि के साथ गोसेवा जोड़ी है 'कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्यम् ।'

नंदी (सांड)

अर्थशास्त्र में गाय को स्वावलंबी बनाने का दूसरा रास्ता उसका उत्पादन बढ़ाना है । उत्पादन बढ़ाने में सांड का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है । अच्छे सांडों के आधार पर ही दुनियाभर

के देशों ने पशु-उत्पत्ति की है। सैंकड़ों वर्षों के अनुभव का सार अंग्रेजी में इस प्रकार कहा है: अकेला सांड आधी गौशाला के वारवर होता है। हमारे यहां भी नंदी का बड़ा महत्त्व रहा है। सांड छोड़ने का कार्य महापुण्य माना गया है। लेकिन इस समय अच्छे सांडों के अभाव में देश का पशुधन गिरता जा रहा है। अयोग्य सांडों से फलने के कारण भावी पीढ़ी कम दूध और कम ताकतवाली पैदा हो रही है। ऐसे बेकार पशुओं की रक्षा करना असंभव है। इसलिए अच्छे सांड पैदा करना और उनसे ही गायें फलाने का आग्रह रखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, यह बात आज सर्व-मान्य है।

आज एक साथ सौ फीसदी अच्छे सांड मिलना संभव नहीं। इसलिए जो सांड उपलब्ध हों, उनमें से अच्छे सांड कायम रखकर बाकी सांडों को बधिया कर दिया जाय और ज्यों-ज्यों अधिक अच्छे सांड मिलते जाय, उनको रखते जाय और कम अच्छों की बधिया कर दिया जाय। इस तरीके से आगे बढ़ना होना। आजकल धर्म के नाम पर कितनी ही जगह रद्दी सांड इधर-उधर घूमते हैं, उनको बधिया करने में कुछ लोग धर्म की हानि समझ कर आपत्ति उठाते हैं, पर उन्हें समझना चाहिए कि अच्छे सांड के छोड़ने में महापुण्य क्यों माना गया है? इसलिए कि उससे गो-संतान की तरक्की होती है। जिस सांड से ही गो-संतान का पतन होता है, ऐसे रद्दी सांडों को छोड़ना महापाप ही कहायेगा। रद्दी सांडों को बधिया करने का अर्थ है, गोजाति को पतन से बचा लेना। इसलिए रद्दी सांडों को बधिया करने का काम हमारी दृष्टि में अत्यंत आवश्यक और पवित्र काम है। इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।

बुरे सांडों को बधिया करने का काम आसान है, लेकिन अच्छे सांड तैयार करने का काम मुश्किल है। यह बात पहले आ चुकी है कि भारत की सभी गायें सर्वांगी बनायी जा सकती हैं। जो नसलें सर्वांगी ही हैं, उनका तो सवाल ही नहीं। लेकिन अधिकांश भारत में तो

वत्स-प्रधान नसलें ही हैं। उनको सर्वांगी बनाने की दृष्टि से सांड का चुनाव करना हो, तो पहले यह देखना होगा कि अच्छा दूध देनेवाली गाय का बछड़ा सांड के लिए चुना जाय। उसमें सांड के योग्य लक्षण हों, तो उसे बचपन से भरपूर दूध पिलाया जाय और अच्छी खुराक दी जाय। सांड के योग्य बछड़ों पर चाहे जितना खर्च करें, बेकार कभी नहीं जाता। अनेकगुना वसूल होता है। अमेरिका ने एक सांड को इंग्लैंड से एक लाख रुपयों में खरीदकर अपने गोधन की वृद्धि की है। आज भी वहां सांडों की कीमत लोग जानते हैं। पिछले दिनों अखबारों में निकाला था कि अमेरिका में एक सांड दस लाख रुपये का है।

सांड तैयार करने के इस काम में सरकार, गोशालाएं तथा धनी किसानों को विशेष रूप से भाग लेना चाहिए।

पिंजरापोल या गोरक्षण (गौशाला) सुधार

पिंजरापोल या पुरानी गौशालाएं किस तरह चलें, इसका विचार करने से पहले हम यह देखें कि उनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। पिंजरापोलों की स्थापना लावारिस पशुओं का इंतजाम और चिकित्सा करने के उद्देश्य से हुई थी। अच्छे पशुओं को लोग अपने घरों में पाल लेते हैं। जो भटकते, बेकार, बूढ़े अपंग पशु होते थे, उनकी पंचायती व्यवस्था का नाम गौशाला या पिंजरापोल था। उसके खर्चे के लिए गांव के व्यापारी व्यापार पर लागू लगाकर खर्चे की व्यवस्था करते थे। अपंग पशुओं के इलाज की भी व्यवस्था वहां होती थी। आज समय बदल गया है। बेकार भटकनेवाले पशु इतने बढ गये हैं कि उन सबको रखना पिंजरापोलों की शक्ति से बाहर की बात हो गयी है। ऐसी

स्थिति में पिंजरापोलों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे का रास्ता सोचना चाहिए ।

हमारी राय में पिंजरापोलों में निम्न कार्य होने चाहिए

१ स्थानीय अच्छी गायों की नसल सुधारी जाय और घटिया गायों की नसलवृद्धि रोकी जाय ।

२ गोवंश को गिरानेवाले हलके सांडो को वधिया किया जाय ।

३ हर संस्था के पास यथासंभव चरागाहों की व्यवस्था हो, जहां आसपास की जनता की सूखी गायों और बछड़ों को भी रियायती खर्च लेकर रखा जा सके । इन चरागाहों पर अच्छे सांड भी रखे जायं ।

५ हर संस्था के पास हरा चारा काफी मात्रा में पैदा करने और साइलेज वगैरह के रूप में संग्रह करने की व्यवस्था हो ।

६ पिंजरापोलों के मकान सफाई और तंदुरुस्ती का खयाल रख कर बनाये जायें और वहां कुएं, पानी की खेती वगैरह की रचना वैज्ञानिक ढंग से और निश्चित नमूने पर हो ।

७ हर संस्था में एक पशु-विशारद होना चाहिए, जिसकी देखरेख में संस्था चलायी जाय । इस विशारद को पशुपालन का, उसके लिए होनेवाली खेती का और पशु-चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए ।

संक्षेप में हर पिंजरापोल में दो विभाग रहने चाहिए । एक विभाग लूले, लंगडे, अपंग, बूढे, बेकार पशुओं के पालन का, जिसको "सेवा विभाग" कहा जाय और दूसरे में स्थानीय नसल की अच्छी-से-अच्छी गाय रखी जायं, उनसे वढिया सांड पैदा किये जाय और दूध-उत्पादन किया जाय । इसे "संवर्धन-विभाग" कहा जाय । इस तरीके से गोशाला और पिंजरापोल आगे बढ़ेंगे, तो वे अपना उद्देश्य सफल कर सकेंगे ।

संपूर्ण गोवध-बंदी क्यों ?

गोवध-बंदी संपूर्ण होनी चाहिए । उसे आंशिक या उपयोगी गो तक सीमित रखने से काम नहीं निभेगा । गोरक्षा एवं संपूर्ण गोवध-बंदी भारतीय संस्कृति का एक अपरिहार्य अंग है । भारत कभी गोवध सह नहीं सकेगा । 'गो' से मेरा मतलब गाय, बैल, बछड़े — संपूर्ण गोवंश से है । संपूर्ण गोवध-बंदी की यह भावना एकमात्र गोवंश के लिए है, उपयोगी पशु की रक्षा की दृष्टि से भैंस, घोड़े आदि अन्य उपयोगी पशुओं की कत्ल बंद करने के लिए स्वतंत्र कानून बनाना पड़े, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं । भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि वह गोवध रोकती है । विश्वशांति के लिए यह आवश्यक है कि स्वार्थ-परायणता घटे, कृतज्ञता व सेवापरायणता बढे । भारतीय संस्कृति ने गोरक्षा द्वारा मानव को इस ओर ले जाने का प्रयत्न किया है । गोवध बंद करना यानी मानवता की रक्षा करना है । जन्म देनेवाली माता तो केवल सालभर दूध पिलाती है, लेकिन गोमाता तो जन्मभर पिलाती है । बिना लोहे व कारखाने के 'बैल' एक ऐसा इंजीन है, जो बिना तेल के स्थानीय घास पर चलता रहता है । गाय ऐसी खाद देती है, जो हजारों वर्षों से हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रखती आ रही है । ऐसी परोपकारी गाय को हम कम-से-कम सम्मान दें, तो भी मां से कम नहीं मान सकते । गाय जीवनभर हमें उत्पादन देती है ।

जिसने अपने जीवन में हमें हजारों का लाभ दिया, वही बुढ़ापे में साल-दो साल बैठ कर अपनी मौत मरना चाहती है; उस समय भी वह खाद तो देती ही है। फिर भी उस अर्से में सौ दो-सौ रुपया खर्च होगा। उसी की कमाई में से होनेवाले इस खर्चे को बचाने के लोभ से उसकी कत्ल का विचार करना मानवता से गिरना है। मनुष्य केवल अर्थ के बल पर नहीं जीता, भावना का उसके जीवन पर भारी असर होता है। भावना के लिए मनुष्य ही नहीं, राष्ट्र के राष्ट्र मर मिटते हैं। गोवध-बंदी के लिए भावना का होना पर्याप्त कारण मानना चाहिए।

गोवध-बंदी के वाद जो समस्याएं खड़ी होंगी, उनके हल करने के लिए हमारे सुझाव इस प्रकार हैं :-

(क) जंगली	} इन तीनों श्रेणियों की गाय और बैल, दोनों से खेती जोतने का उनकी शक्ति के अनुसार हल्का या भारी काम लिया जाये।
(ख) आवारा	
(ग) कम उत्पादक	

(घ) बूढ़े :- यह श्रेणी उन बूढ़े पशुओं की है, जो चल-फिर कर खा सकते हैं। इन जानवरों को गोसदनों में भेज दिया जाय।

(च) अपंग :- यह श्रेणी लूले, लंगड़े, अंध पशुओं की है, जो घूम-फिर नहीं सकते। उन्हें पिंजरापोल या गोरक्षण संस्थाओं में रखा जाये।

(छ) बेकाम सांड :- ऐसे सांड, जो धार्मिक दृष्टि से छोड़े गये हों या वैसे ही घूमते हों, जो सांड नसल-सुधार के लिए उपयोगी नहीं हैं, उन्हें बधिया कर के काम में ले लेना चाहिए। बूढ़े हों, तो गो-सदन में भेज दिये जाये।

गाय को जोतने के विषय में लोगों की भावना जाग्रत करनी

होगी। जब लोग देखेंगे कि बिना काम लिये गाय को खाना देना या बचा सकना संभव नहीं है तो वे काम लेने के लिए तैयार हो जायेंगे। आज पुराने जमाने की तरह जनसंख्या कम और जंगल अधिक नहीं हैं। बढी हुई जनसंख्या को मद्देनजर रख कर थोड़ी जमीन से काम निभाना होगा। मैसूर राज्य में आज भी गायों से खेत जोतने का काम लिया जाता है। वहां बेकार या आवारा गायें नहीं दीखतीं।

हम किसी भी तरीके के नये गोटेक्स या पशु-सेस को ठीक नहीं समझते। आज खुशी से पुरानी गोशालाओं की जो लाग-वाग चालू है, उसी को कानूनी बना कर सब मंडियों पर लागू करना काफी है। अनुत्पादक गाय से उसकी शक्ति के अनुसार काम लेने में कोई हर्ज नहीं मानना चाहिए। आज के जमाने में बिना काम लिये खाना देना संभव नहीं है। अनुत्पादक गाय से काम नहीं लिया गया, तो उसको बचा सकना असंभव है।

हम देखते हैं कि कई शास्त्रज्ञ गाय के हित में ही गोवध जारी रखना चाहते हैं। वे समझते हैं कि गोवध चालू रहा, तो गाय की हालत अच्छी रहेगी और गोवध बंद होने से हालत एकदम बिगड जायेगी। उनकी सद्भावना की हम कदर करते हैं। फिर भी वे सोचें कि आज जब कि १५० वर्ष से बराबर अनिर्बध गोवध जारी है, तो क्या गाय की हालत सुधारी या विगाडी? १५० वर्ष तक गोवध कायम रख कर भी गाय की हालत बिगडती ही गयी। वास्तव में देखा जाये, तो गाय की हालत सुधरने-न सुधरने का आधार केवल गोवध या गोवध-बंदी नहीं है। उसका आधार है, गोपालन के विधायक तरीके। देश की भावना की कदर कर के हमें संपूर्ण गोवध बंद करना चाहिए और उससे पैदा हुई सद्भावना को बटोर कर विधायक गोपालन

से गाय की व भारत की दशा सुधारनी चाहिए ।

गोसदन के खर्च के लिए आम जनता पर गो-टैक्स या गाय-भैंसवालों पर पशु-सेस नहीं बैठना चाहिए । ऐसा करने में गाय के प्रति एक विरोधी भावना निर्माण होगी । जहां तक हो, वहां तक गाय को स्वावलंबी बनाना चाहिए । अनुत्पादक पशु कम-से-कम पैदा हों, नसल (प्रजनन)-नीति (ब्रीडिंग पॉलिसी) के द्वारा इस पर नियंत्रण करना चाहिए । जो हैं उनसे काम लेना चाहिए । फिर भी कुछ खर्च तो होगा ही । कई जगह व्यापारी मंडियों में गोशालाओं के लिए 'लाग-वाग' चालू है । उसी को कानूनी बना कर सब मंडियों पर लागू कर दिया जाये । जहां स्थानीय गोरक्षण संस्था हो, आधी लाग उसे दी जाये और आधी गोसदन के लिए रखी जाये । जहां स्थानीय गोरक्षण संस्था न हो, वहां की पूरी आमदनी गोसदन के लिए रहे ।

गोरक्षण संस्था के मुख्य दो काम होने चाहिए ।

- (१) अपंग पशुओं का पालन ।
- (२) अच्छे सांडों का निर्माण ।

अच्छे सांडों का निर्माण करके अनुत्पादक पशुओं की वृद्धि रोकनी चाहिए । इस नीति से बराबर काम होता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है, जब गाय पूर्ण स्वावलंबी हो जायेगी । इतना ही नहीं, वचत भी देने लगेगी । ऐसा समय आने पर अधिकांश लोग बूढ़ी गायों को गोसदन न भेज कर घर पर ही पाल लेंगे । मध्यप्रदेश में तो केवल खाद के ही लिए गायें रखी जाती हैं । भारत के किसानों को बूढ़ी और जवान गायों से, कुल मिला कर खर्च से थोड़ी अधिक आमदनी होती रही, तो वे अधिक मुनाफे के लिए बूढ़ी गायों को गोसदन नहीं भेजेंगे ।

राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में खाद की कीमत बाजार की दर से न लगा कर खाद के डालने से जितने वर्षों तक जितनी पैदावार अधिक हो, उस पर से लगाना चाहिए ।

गोवध-बंदी से चमड़े के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा । जवान और कल्ल की गयी गाय का जैसा चमड़ा होता है, वैसा बूढ़ी और बीमारी से मरनेवाली गाय का नहीं हो सकता । चमड़े के धंधे में कुछ नुकसान मान कर ही हमने गोवध-बंदी की सिफारिश की है । भावना का मूल्य इन छोटे-मोटे लाभों के मुकाबले बहुत अधिक होता है । हम सिद्धांतरूप से मानते हैं कि धर्म और अर्थ का विरोध नहीं होना चाहिए ।

हमारा यह विश्वास है कि आज भी गाय भारत के राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में स्वावलंबी है । जितना खर्च राष्ट्र का बच्चे से ले कर बूढ़े तक के गोवंश पर होता है, उससे अधिक उत्पादन राष्ट्र को वह देता है । कल्ल बंद करने पर भी गाय खर्च से अधिक उत्पादन देगी । नसल सुधार होने पर तो वह बहुत बड़ी बचत देगी । लेकिन हमें व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के भेद को समझना चाहिए । व्यक्तिगत अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति पर आधारित होता है । वह केवल 'अनर्थ-शास्त्र' है । राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यह है कि राष्ट्र को कितना धन पोषण में खर्च करना पडा और कितना वापस मिला । इसका हिसाब मेहनत, वस्तु आदि के रूप में लगाना होता है, पैसे के रूप में नहीं ।

कुरानशरीफ ने कहा है,

मनुष्य अपने अन्न की ओर देखे -
कि हमने ऊपर से खूब पानी बरसाया,
फिर हमने विशेष प्रकार से जमीन चीरी,
उसमें अनाज उगाया
और अंगूर और सब्जियां
और जैतून और खजूरें
और घने वाग

और फल तथा चारा उगाया
तुम्हारे और पशुओं के लाभ के लिए

- कुरानशरीफ ८०.२४-३२

सेंट पॉल ने कहा है,

बट मीट कमेंडेथ अस नॉट टू गॉड; फॉर
नायदर, इफ वी ईट, आर वी धी बेटर;
नायदर, इफ वी ईट नॉट, आर वी धी वर्स ।
बेअर ऑफ, इफ मीट मेक माय ब्रदर टु
आफेंड आई विल ईट नो फ्लेश वाईल
धी वर्ल्ड स्टेंडेथ, लेस्ट आई मेक माय ब्रदर
टु आफेंड,

- आहार ईश्वर-प्राप्ति का साधन नहीं है । आहार लेने से
हमारी उन्नति होती है और न लेने से अवनति, ऐसी बात नहीं ।
इसलिए मेरा आहार मेरे भाई को आपत्ति जनक लगे तो मैं आजीवन
मांसाहार नहीं करूंगा, ताकि मेरे भाई को मैं दुःखी न करूं -

- १ कुरिथ : ८.८, १३

गोवध-बंदी कानून

[भारत सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी से]

1. धारा ४८ के अंतर्गत पूरी गोवध-बंदी है :

१. राजस्थान, २. जम्मू-काश्मीर, ३. पंजाब, ४. हरियाणा,
५. चंडीगढ़, ६. उत्तर प्रदेश, ७. दिल्ली, ८. बिहार, ९. मध्यप्रदेश,
१०. गुजरात, ११. तेलंगाना (आंध्र), १२. विदर्भ-मराठवाडा (महाराष्ट्र), १३. कर्नाटक, १४. उड़ीसा.

2. कानून नहीं है, लेकिन परंपरा से गोवध बंद है—

१. आंध्र, २. मणिपुर, ३. हिमाचल प्रदेश, ४. आंदमान-निकोबार,
५. त्रिपुरा.

3. आंशिक बंदी


१. पश्चिम बंगाल, २. तमिलनाडु, ३. असम, ४. मिझोराम,
५. मेघालय,

4. गोवध-बंदी कानून नहीं

१. केरल, २. महाराष्ट्र, ३. गोवा, ४. पांडेचेरी, ५. अरुणाचल,
६. लखदीव बेट, ७. नागालैंड, ८. दादरा-हवेली.







जब तक गोवध होता है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा
खुदका ही वध हो रहा है। मेरे सारे प्रयत्न गोवध रोकने के लिये
ही हैं।

— गांधोजी

मूल्य - रु. १.५०